

**माननीय एन.जी.टी. प्रिंसीपल बेंच नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक
100/2020 (सी.जेड) (नितीन कुमार विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य) की
स्टेटस रिपोर्ट**

-----00000-----

माननीय एन.जी.टी. प्रिंसीपल बेंच नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक-100/2020 (सी.जेड) (नितीन कुमार विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02/12/2020 में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस एजेंसी, म0प्र0 राज्य खनिज निगम होशंगाबाद तथा क्लेक्टर व खनन अधिकारी, होशंगाबाद को तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ19-7/2020 /12/2 भोपाल दिनांक 06/06/2020 से होशंगाबाद जिले 09 रेत खदानों की टेका अवधि 31/03/2020 तक वैध थी, के लिए वर्तमान परिस्थितियों में रेत खनिज की उपलब्धता हेतु अंतरिम व्यवस्था किये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर चयन 09 रेत खदानों के टेकों की समय वृद्धि ठेकेदारों की सहमति के आधार पर 01 वर्ष (दिनांक 31/03/2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक के लिए की गयी थी। (संलग्न शासन आदेश दिनांक 08/06/2020 की प्रति)

रेत खदानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	समूहों का कोड	रेत खदान का नाम	खसरा न0	रकबा (है0)	मात्रा (घ0मी0) प्रतिवर्ष	सर्वोच्च सोतीकर्ता का नाम
1	SMC0008	रायपुर-4	126	10.555	168880	शियम इन्टरप्राइसेस
2	SMC0022	निमसाडिया	1163	20.243	200000	संतोष रज द्विवेदी
3	SMC0023	देवसाखेड़ी	60	12.145	120000	आर0एस0आई0स्टोन प्रा0लि0
4	SMC0029	होरियापीपर	226	19.746	125000	ठाकुर कंस्ट्रक्शन
5	SMC0251	मेहराघाट-10	365	11.655	116500	ए0डी0 एच0 फूड्स प्रा0लि0
6	SMC0253	आंघसखेड़ा-4	87/2	10.486	235900	एस0सिएट कामर्स
7	SMC0279	राजीत-2	181/1	17.500	236250	एस0आर0ट्रैडर्स
8	SMC0044	कासदारियतवाड़ी	18	4.000	120000	सेनिक फूड्स प्रा0लि0
9	SMC0292	वेदर	58	16.976	509280	सेनिक फूड्स प्रा0लि0

म0प्र0 राज्य खनिज निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार शासन द्वारा समयवृद्धि उपरांत दिनांक 10/06/2020 से म0प्र0 राज्य खनिज निगम एवं उपरोक्त 09 रेत खदान ठेकेदारों के बीच अनुबंध निष्पादन कर सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात रेत खनिज निकासी हेतु रेत खदानों का संचालन प्रारम्भ किया गया। (संलग्न-09 अनुबंध निष्पादन की छायाप्रति, 09 ई0सी0 की प्रति एवं 09 सी.टी.ओ. की प्रति)

मानसून सत्र की प्रतिबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 02/10/2020 से उक्त 09 रेत खदानों में रेत उत्खनन कर निकासी का कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ था।

उक्त 09 रेत खदानों के संबंध में दी मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि0, संभागीय कार्यालय होशंगाबाद द्वारा लेख किया गया है कि उक्त रेत खदानों के पूरक अनुबंध उपरांत ठेकेदारों द्वारा पुनः वैधानिक अनुमतियां दिनांक 31/03/2021 तक के लिए प्राप्त कर निगम में प्रस्तुत की गयी थीं। (निगम से प्राप्त पत्र दिनांक 23/11/2020 की छायाप्रति संलग्न है)

Divedi

[Signature]

[Signature]

जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में 01 अप्रैल-2020 से 31 दिसम्बर-2020 तक अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध उत्खननकर्ता, अवैध परिवहनकर्ता एवं अवैध भण्डारणकर्ता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रकरण का प्रकार	दर्ज प्रकरण	जप्त वाहन	प्रस्तावित अर्थदण्ड	निराकृत प्रकरण	अविसर्पित अर्थदण्ड	जमा राशि	RTO में जमा राशि	कुल जमा राशि (RTO +0853)
1	अवैध उत्खनन	18	35	18529625	12	6097250	4246000	174000	4420000
2	अवैध परिवहन	175	175	8613480	157	6390500	6390500	1099000	7489500
3	अवैध भण्डारण	8	4	6108098	1	100000	100000	15500	115500
Total		201	214	33251193	180	12587750	10736500	1288500	12025000

अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के उक्त प्रकरणों में संगत प्रावधानों/नियमों के तहत प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के प्रकरणों में 184 प्राथमिकी (एफ0आई0आर0) दर्ज करायी गयी हैं।

वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा सम्पूर्ण जिला होशंगाबाद रेत समूह की 118 रेत खदानों को ठेकेदार मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन्स लि0, पता-65-ए, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा, जिला-कोरबा(छ0ग) को सर्वोच्च निविदा पर दिनांक 30 जून-2023 तक के लिए स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा निविदाकार को पत्र क्रमांक-रेत/2020/2686 भोपाल दिनांक 04/12/2020 से आशय पत्र जारी किया गया। जिसके उपरान्त संबंधित ठेकेदार द्वारा म.प्र. राज्य खनिज निगम के साथ अनुबंध निष्पादन दिनांक 13/01/2021 को किया जाकर 20 रेत खदानों में सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात रेत खनिज निकासी हेतु रेत खदानों का संचालन किया जा रहा है। (संलग्न- 20 रेत खदानों की सूची, 20 अनुबंध निष्पादन की छायाप्रति, 20 ई0सी0 की प्रति एवं 20 सी.टी.ओ. की प्रति)


उपरोक्त रेत खदानों द्वारा म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये सम्मति पत्र में दी गयी शर्तों एवं सस्टेनेबल सैंड माईनिंग गाईडलाइन 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुये आक्टिव लीज क्षेत्र से नियमानुसार रेत का उत्खनन किया है जिस पर संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निगरानी रखी गयी है।

उपरोक्त संलग्नकों के अनुसार गठित दल द्वारा तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार सस्टेनेबल सैंड माईनिंग गाईडलाइन 2016 तथा म0प्र0 रेत(खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम-2019 के संगत प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार सतत् रूप से नियमित कार्यवाही की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत है।


क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड


उच्च महाप्रबंधक
म0प्र0 राज्य खनिज निगम
संभागीय कार्यालय होशंगाबाद


खनि अधिकारी
जिला-होशंगाबाद(म0प्र0)


अपर कलेक्टर
जिला-होशंगाबाद(म0प्र0)

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक :- एक 19-7/2020/12/2
प्रति,

भोपाल, दिनांक :- ०६/०६/२०२०

1. प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम,
पर्यावास भवन, भोपाल, (म.प्र.)।
2. कलेक्टर,
जिला होशंगाबाद, मण्डला एवं आगर-मालवा,
मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला होशंगाबाद, मण्डला एवं आगर-मालवा जिलों में दिनांक 31.03.2020 तक स्वीकृत रेट खदानों के संबंध में।

उपरोक्त विषयक होशंगाबाद जिले की 09 रेट खदानों, मण्डला जिले की 02 रेट खदानों एवं आगर-मालवा जिले की 02 रेट खदानों जिनकी टेका अवधि दिनांक 31.03.2020 को वैध थी, के लिये वर्तमान परिस्थितियों में रेट खनिज की उपलब्धता हेतु अंतरिम व्यवस्था किये जाने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है।

होशंगाबाद जिले की खदान मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा अनुबंधित टेकेदारों के माध्यम से तथा मण्डला एवं आगर-मालवा जिले की खदानें मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत नीलामी में टेकेदारों द्वारा संचालित थीं।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 66 (विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण), मध्यप्रदेश रेट (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 25(1) (कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति), नियम 26(6) (संकमण काल के लिये प्रावधान), मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 36(3) (बोली लगाने का करार) तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा पूर्व में जारी निविदा में टेके की सामान्य शर्तों के बिन्दु क्रमांक - 2.15 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

- (क) होशंगाबाद, मण्डला एवं आगर-मालवा जिले में दिनांक 31.03.2020 को वैध टेकों की समय वृद्धि, इन जिलों की रेट खदानों के टेकेदारों की सहमति के आधार पर, 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन टेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक, (जो भी पहले हो) तक मान्य की जाये।
- (ख) टेके की अवधि 01 अप्रैल, 2020 से उपरोक्तानुसार निरंतर मान्य की जाये। टेकेदार द्वारा खदान का कब्जा लेने की दिनांक से समानुपातिक रूप से टेका धन की राशि वसूल की जाये।
- (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत टेका धन में प्रति घन मीटर की स्वीकृत दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि अथवा नवीन निविदा में प्राप्त अधिकतम दर जो भी अधिक हो, वह दर स्वीकृत मान्य की जाये।
- (घ) आगर-मालवा जिले में वर्तमान ई-निविदा में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस जिले में उच्चतम संभाव्य के अन्य जिलों में प्राप्त उच्चतम निविदा दर की औसत दर से प्रति घनमीटर की राशि ली जाए।

- (इ) सनय वृद्धि हेतु ठेकेदारों को संबंधित जिले के कलेक्टर एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के साथ नियमानुसार पूरक अनुबंध का निष्पादन कराया जाये।
- (व) ऊर्ध्व गई अवधि के लिये स्वीकृत रेत खनिज की मात्रा अनुपातिक रूप से बही होगी, जो कि पूर्व में अनुबंधित रही है। वार्षिक मात्रा को 09 माह (मानसून अवधि छोड़कर) में अनुपातिक रूप से विभक्त किया जायेगा। ठेकेदार को खदान पर वास्तविक कब्जा अवधि में उक्त मात्रा की समानुपातिक रूप से रेत निकासी की अनुमति दी जाये। इस अवधि में निर्धारित ठेका राशि वसूल की जाये।
- (ख) निर्धारित मात्रा से अधिक की रेत निकासी की जाती है, तो अतिरिक्त ऊर्ध्व गई मात्रा का अनुमोदित दरों पर अतिरिक्त रूप से भुगतान कराया जाये।

राज्य शासन के उपरोक्त निर्णय के पालन में होशंगाबाद जिले में दिनांक 31.03.2020 को वैध स्वीकृत रेत खदानों के ठेकेदारों से मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम सहमति प्राप्त कर, लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार कलेक्टर, जिला आगर-मालवा एवं मण्डला दिनांक 31.03.2020 को वैध स्वीकृत रेत खदानों के ठेकेदारों से सहमति प्राप्त कर, लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रकाश चव्हा) 06/06/20

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक :- 06/06/2020

पृ. सं. क्रमांक :- एफ 19-7/2020/12/2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. समस्त संभारगीय आच्युत, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा), जिला होशंगाबाद, मण्डला एवं आगर-मालवा, मध्यप्रदेश।

की और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. गार्ड फाईल।

अवर सचिव 06/06/20

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

2763391, 2763392, 2763393

2763394

mpsmc@mp.gov.in

www.mpsmcl.mp.gov.in

1410MP1962SGC000937

प्रति,

कलेक्टर,
जिला होशंगाबाद
मध्यप्रदेश

पंजीकृत कार्यालय :

पर्यावरण भवन, ब्याक नं. 1 (ए)

द्वितीय तल, जेल रोड,

अमरा हिल्स, भोपाल- 462011

दिनांक - 10/6/2020

विषय:- जिला होशंगाबाद में दिनांक 31.03.2020 को वैध ठेको की समय वृद्धि कर पूरक अनुबंध भेजने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र क्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल दिनांक 06.06.2020 के तहत जिला होशंगाबाद जिले में दिनांक 31.03.2020 को वैध ठेकेदारों की समय वृद्धि ठेकेदारों की सहमति के आधार पर 1 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध की दिनांक (जो भी पहले हो) तक बढ़ाई गई है तथा ठेकेदारों से पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया है । जिनकी छायाप्रति संलग्न हैं । विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	खदान का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध दिनांक
1	रायपुर-4	शिवम इंटरप्राइजेस	10.06.2020
2	होशंगाबाद	ठाकुर कंस्ट्रक्शन	10.06.2020
3	निमसाडिया	संतोष राजेंद्र विवेदी	10.06.2020
4	ओशनखेड़ा-4	एसोसिएट्स कॉमर्स	10.06.2020
5	मेहराघाट-10	ए.बी. एचो फूड्स	10.06.2020
6	राजीव-2	एस.आर. डेवर्स	10.06.2020
7	कासदा रियतवाड़ी	सैनिक इंडस्टीज	10.06.2020
8	वेदर	सैनिक इंडस्टीज	10.06.2020
9	देवलाखेड़ी	आर.एस.आई. वर्ल्ड स्टोन	10.06.2020

उपरोक्त ठेकेदारों के पूरक अनुबंध की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित हैं ।

(दिलीप कुमार)

कार्यपालक संचालक


मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

प्रतिनिधि:-

क्र.स्त/2020/ 967, 968

भोपाल, दिनांक 10/6/2020

1. संचालक, संचालनालय भूमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल की ओर सूचनार्थ पत्रक अनुबंध की प्रति संलग्न ।
2. जिला पंजीयक, जिला होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ पत्रक अनुबंध की प्रति संलग्न ।
3. सभागीय अधिकारी, होशंगाबाद की ओर की ओर सूचनार्थ पत्रक अनुबंध की प्रति संलग्न ।
4. संबंधित ठेकेदारी की ओर की ओर सूचनार्थ पत्रक अनुबंध की प्रति संलग्न ।


कार्यपालक संचालक

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध

कहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC0008 रेत खदान रायपुर-4
उत्पन्न एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माइनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक
(जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा
स्वीकार्य हो उसके उत्सराधिकारी सम्मिलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स शिवम
इन्टरप्राइजेस 6, बैसाली काम्प्लेक्स, जोन 2 एम.पी.नगर, भोपाल (जिसे आगे बोलीकर्ता
संदर्भ किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके
निष्पादन, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्सराधिकारी सम्मिलित है (द्वितीय पक्ष) के
मध्य आज दिनांक 18/06 वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है।

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद द्वारा संचालित समूह
क्रमांक होशंगाबाद-8 समूह कोड क्रमांक SMC0008 की रेत खदान रायपुर-4 खसरा नं
126 एकबा 10.555 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा
उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत
विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 20.04.2017 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक
दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में
उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर
उन्हें- 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन
की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे। ठेकेदार
द्वारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत
दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी
पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से
निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :- पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं अस्तुत वैधानिक स्वीकृतिगो के अनुसार 168800
घनमीटर प्रतिवर्ष है। म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-
7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में
(मानसून अवधि छोड़कर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान
पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमति होगी।
ठेकेदार द्वारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित
मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित
मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है, तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम
को भुगतान करेगा।


DIRECTOR, STATE MINING CORPORATION
BHOPAL


PRODUCTION

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 137.83 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 151.613 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेल (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार रायपुर-4 खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271/- प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

(दायाँ किस्म के पच्चीस पैसा मात्र)
ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेल (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेल (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें इंजीनियरी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 20.04.2017 कायादेश दिनांक 25.03.2017 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेल (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित प्रश्नकारों द्वारा दिनांक 10/6/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :-

(1)


आशुतोष सैनी
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (आय)

(2)


एस.सी. सैनी
प्रबंधक (आय)


कार्यपालक संचालक

मध्यप्रदेश रेल निगम

दिनांक 10/06/2020



ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक

साक्षी :-

(1)

(2)



मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है, तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 234.830 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 258.313 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार होरियापीपर खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 01.01.2017 कार्यादेश दिनांक 30.12.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :-

(1)

(2)

एच.सी. नेंगा
प्रबंधक (आभाव्य)

साक्षी :-

(1)

(2)

कार्यपालक संचालक

म0प्र0 राज्य खनिज निगम

दिनांक 10/06/2020

भोपाल

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -

THAKUR CONSTRUCTION

PROPRIETOR

दर- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 161.575 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 177.732 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार निमसाडिया खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 21.12.2016 कार्यदेश दिनांक 21.12.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :-

(1)

(2)

[Handwritten Signature]
 आशुतोष देमले
 वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक (खनिज)
[Handwritten Signature]
 दिनांक 10/06/2020

[Handwritten Signature]
 10/06/2020

कार्यपालक संचालक
 म0प्र0 राज्य खनिज निगम
 दिनांक - 10/06/2020

SANTOSH RAJ DWIVEDY
[Handwritten Signature]
 Proprietor

साक्षी

(1)

(2)

[Handwritten Signature]
 V. J. D. D. D.

ठेकेदार के हस्ताक्षर
 दिनांक -

ठेकेदार द्वारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है, तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।

इस विस्तृत वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 203.576 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 229.433 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार आंचलखेडा-4 खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 07.01.2017 कार्यदेश दिनांक 06.01.2017 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :-

(1)

(2)

साक्षी :-

(1)

(2)


कार्यपालक सचालक

म0प्र0 राज्य खनिज निगम

दिनांक -

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -



रेत विक्रय का पूरक अनुबंध

तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC0251 रेत खदान मेहराघाट-10 उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माईनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निम्न संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स ए.डी.एग्रो फूड्स प्रा० लि०, 18, सागर माथा आर्पाटमेन्ट्स, एम.जी.रोड, इन्दौर (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भ किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 08/06/2020 वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है।

यह साक्ष्यांकित है कि निम्न के उपकार्यालय होशंगाबाद द्वारा संचालित समूह क्रमांक होशंगाबाद-49 समूह कोड क्रमांक SMC0251 की रेत खदान मेहराघाट-10 खसरा नं 365 रकबा 11.655 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 28/04/2017 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे। ठेकेदार द्वारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :- पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार 116500 घनमीटर प्रतिवर्ष है। म०प्र० शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में (मानसून अवधि छोड़कर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमति होगी। ठेकेदार द्वारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि नियम को भुगतान करेगा।


खनिज साधन विभाग
भोपाल

AD Agro Foods Pvt. Ltd.


Authorised Signatory

वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रुपए 151.66 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रुपए 166.826 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रुपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार मेहराघाट-10 खदान के लिये दर रुपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रुपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 28.04.2017 कार्यादेश दिनांक 27.04.2017 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :-

(1)

अभिजीत टमले
वरिष्ठ उप महानिरीक्षक (खान)

(2)

सुभाषी. वेमा
निरीक्षक (खान)

साक्षी :-

(1)

Litash Jha

(2)

Atul Goyal

Atul Goyal
3 G. Govind Rao S B. Road

कार्यपालक संचालक

म0प्र0 राज्य खनिज निगम

दिनांक 10/06/2020

AD Agri Foods Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध

तहसील बाबई जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC0279 रेत खदान राजॉन-2 उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माईनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स एस.आर.ट्रेडर्स,ई-5 शाप नं. 12, मेट्रो प्लाजा विन्डन मार्केट, भोपाल (जिसे आगे कर्ता संदर्भ किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 15/06/वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है।

यह साक्ष्यकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद द्वारा संचालित समूह क्रमांक बाबई-18 समूह कोड क्रमांक SMC0279 की रेत खदान राजॉन-2 खसरा नं 181/1 रकबा 17.500 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 15.06.2017 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अर्थात् नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाये। ठेकेदार द्वारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :- पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत अध्यात्मिक स्वीकृतियों के अनुसार 236250 घनमीटर प्रतिवर्ष है। म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में (मानसून अवधि छोड़कर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमती होगी। ठेकेदार द्वारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।


अध्यक्ष, मुम्बई
कर्म संस्था
आयुक्त, खनिज साधन विभाग
म.प्र. और राज्य सरकार, भोपाल


अध्यक्ष, मुम्बई

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 137.731 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 151.504 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला हाशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार राजॉन-2 खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 15.06.2017 कार्यदेश दिनांक 14.06.17 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 05.06.2020 के अनुसार होगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेका पर बढी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।


प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारी द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी

(1)

(2)


आशु लाल टमल
जीएच उप महाप्रबंधक (खान)


रमेश चं. चं. मेमा
अध्यक्ष (सहभागी)


कारण सिंह
कार्यपालक संचालक

मध्यप्रदेश खनिज निगम
मध्य प्रदेश खनिज निगम
दिनांक 10/06/2020


POP S. R. TRADERS



Authorised Signatory

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -

साक्षी :-

(1) 
विकास झा

(2) 
अजेंद्रा सिंह

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध


तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC 0044 रेत खदान कासदा रैयतवाडी उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माईनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स सैनिक इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०, फ्लेट नं. 201-202, विकास प्लाजा, बिल्डिंग नं. 2 लोकल शॉपिंग सेन्टर, कालकाजी, नई दिल्ली (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भ किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 10/06 वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है।

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद द्वारा संग्रहित इटारसी समूह क्रमांक इटारसी-1 समूह कोड क्रमांक SMC 0044 की रेत खदान कासदा रैयतवाडी खसरा नं 18 रकबा 4.000 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 31.05.2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे। ठेकेदार द्वारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :- पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष है। म०प्र० शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में (मानसून अवधि छोड़कर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमति होगी। ठेकेदार द्वारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।


Sainik Industries Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

Sainik Industries Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 143.842 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 158.226 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एक 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार कासदा रेतवाड़ी खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिशन मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध होती मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 31.05.2016 कार्यादेश दिनांक 27.05.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एक 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी।

उपरोक्त कंडिक्शनों के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।


प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :-

(1)

(2)

आशुतोष टेमले
परिष्ठ उप महाप्रबंधक (खान)




सहा.सी. मैना

प्रबंधक (साधन)

साक्षी :-

(1)

(2)


Bim
Atul Kumar
Genl. Manager

Sainik Industries Pvt. Ltd.


कार्यपालक संचालक

M090 राज्य खनिज निगम

कार्यालय, भोपाल-462003

दिनांक 10/06/2020

Sainik Industries Pvt. Ltd.


Authorised Signatory

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -

रेत विक्रय का पुरक अनुबंध


तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC0292 रेत खदान वेदर उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग


यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माइनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित है (प्रथम पक्ष) एवं मंसर्स सैनिक इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0, फ्लेट नं. 201-202, विकास प्लाजा, विल्डिंग नं. 2 लोकल शॉपिंग सेन्टर, कालकजी, नई दिल्ली (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भ किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक...19.06.2020 वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है।

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद द्वारा संचालित समूह क्रमांक वनखेडी-3 समूह कोड क्रमांक SMC0292 की रेत खदान वेदर खसरा नं 58 रकबा 16.976 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 20.06.2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे। ठेकेदार द्वारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :- पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार 440000 घनमीटर प्रतिवर्ष है। म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में (मानसून अवधि छोड़कर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमति होगी। ठेकेदार द्वारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री करता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।


काजीरामलाल मिश्रा
ज.प्र.एच.
म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
भोपाल

Sainik Industries Pvt. Ltd.

Anil Kumar Singh
Authorised Signatory

दर- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपर 158.424 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपर 174.266 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपर 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एक 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार वेदर खदान के लिये दर रूपर 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपर 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।


शेष शर्तें ई-नीलामी पत्र, मूल अनुबंध दिनांक 20.06.2016 कार्यदेश दिनांक 03.06.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एक 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी।



उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।


प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षवचरो द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :- 
 आशुतोष टमले
 वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (खान)
 (1)

 एस.सी. नेमा
 प्रबंधक (सामान्य)
 (2)


 कार्यपालक संचालक
 म0प्र0 राज्य खनिज निगम
 दिनांक 10/06/2020
 Sainik Industries Pvt. Ltd.

साक्षी :-
 (1) 
 (2) 
 Atul Goudal
 Geet-Phase-5
 Blue-ford


 Authorised Signatory
 ठेकेदार के हस्ताक्षर
 दिनांक -

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध


तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC0023 रेत खदान देवलाखेडी
उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माइनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक
(जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा
स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स आर.एस.आई. स्टोन
वर्ल्ड प्र० लि० ई-7 एम. 708, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भ किया
गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक,
प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज
दिनांक.10/06 वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है।

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद द्वारा संचालित समूह
क्रमांक होशंगाबाद-23 समूह कोड क्रमांक SMC0023 की रेत खदान देवलाखेडी खसरा नं
60 रकबा 12.145 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा
उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत
विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 26.05.2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक
दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में
उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर
उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन
की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे। ठेकेदार
द्वारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत
दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी
पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से
निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :- पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार 110000
घनमीटर प्रतिवर्ष है। म०प्र० शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-
7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में
(मानसून अवधि छोड़कर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान
पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमती होगी।
ठेकेदार द्वारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित
मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित
मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है, तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम
को भुगतान करेगा।


मिनिंग कॉर्पोरेशन लि.
उपकार्यालय
होशंगाबाद
म.प्र.

For RSI Stone World Pvt. Ltd

Authorised Signatory

दर- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 176.812 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 194.493 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एक 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार देवनाखेड़ी खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।


ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्राक्धान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 26.05.2016 कार्यादेश दिनांक 16.05.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज संधन विभाग का एक 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होगी।


उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्राक्धान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :-

- (1) 
आंधुलोक टेमले
अधिक उप महाप्रबंधक (खन)
- (2) 
एच.ए.सी. नेमा
बंधक (साधन)

साक्षी :-

- (1) 
Anand Kumar Coal Traders Bhopal
- (2) 
Anand Kumar


10/06/2020

कार्यपालक संचालक एच.

म0प्र0 राज्य खनिज निगम

दिनांक - म.प्र. स्टेट पाइनिंग कार्पो. लि.
भोपाल

For RSI Stone World Pvt. Ltd

Authorised Signatory

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parksar, E-5, Arera Colony
Bhopal-4620 16

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Tel: 0755-2466970, 2466859

Fax : 0755-2462136

No 1485 / SEIAA/18
Date 9.1.18

To

M/s Shivam Enterprises.
Sub Lessee of M.P. State Mining Corporation
Prop. Shri Shivam Trivedi, 6 Vaishali Complex, Zone 2
Maharana Pratap Nagar, Bhopal M.P. 462011

Sub:- Case No.5896/2017 Prior Environmental Clearance for Raipur -4 Sand Mine on Tawa River (Open cast manual method) in an area of 10.555 Ha for production capacity of 1,68,880 cum per year at Khasra no. 126 at Village- Raipur, Tehsil - Hoshangabad, Dist. Hoshangabad (MP) by M/s Shivam Enterprises, Sub Lessee of M.P. State Mining Corporation, Prop. Shri Shivam Trivedi, 6 Vaishali Complex, Zone 2, Maharana Pratap Nagar, Bhopal M.P. 462011

This has reference to your letter received in SEIAA office on 06.11.2017 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz. the Form - I Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

- II There is no human settlement within 500 m from mining site. There is no forest boundary within 250m from mining site. It lies at geographical co-ordinates at 22°47'28.332"N 77°47'34.446"E, 22°47'31.726"N 77°47'26.764"E, 22°47'19.547"N 77°47'26.261"E, 22°47'19.696"N 77°47'12.470"E
- III The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006.
- IV Based on the information submitted as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 462nd meeting did 27.12.2017 and decided to accept the recommendations of 300th SEAC meeting did 08.12.2017.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for Raipur -4 Sand Mine on Tawa River (Open cast manual method) having coordinates (22° 47'28.332"N 77° 47'34.446"E, 22° 47'31.726"N 77° 47'26.764"E, 22° 47'19.547"N 77° 47'26.261"E, 22° 47'19.696"N 77° 47'12.470"E) in an area of 10.555 ha. for production capacity of 1,68,880 cum per year at Khasra no. 126 at Village- Raipur, Tehsil - Hoshangabad, Dist. Hoshangabad

1013

32

(MP) for the lease period to M/s Shivam Enterprises, Sub Lessee of M.P. State Mining Corporation, Prop. Shri Shivam Trivedi, 6, Vaishali Complex, Zone 2, Maharana Pratap Nagar, Bhopal M.P. 462011, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions

A. Specific Conditions

- 1 The production capacity shall be limited to the quantity approved by SEAC
- 2 No in-stream mining shall be allowed
- 3 The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan
- 4 No in-stream mining shall be allowed. No ramp will be allowed within the river basin to transport sand to the other bank. Transportation will be allowed on the bank side where the mineral is being excavated
- 5 A petition (OA 404/2016, MA 758/2016, MA 920/2016 & MA 1099/2016) has been filed before the Hon'ble NGT (Principal Bench), New Delhi where MP-SEIAA is one of the respondent. Any order by the Hon'ble NGT shall be binding to PP
- 6 The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Principal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others) shall be obligatory on the part of PP
- 7 The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site
- 8 PP shall ensure proper implementation of plantation, dust suppression, CC approach road construction and maintenance of PWD road as part of Environmental Management Plan. Additional budget provision shall be made as part of EMP
- 9 PP must ensure implementation of the following activities as committed before SEAC with separate budget provision should be kept under CSR
 - a) Contribution for sports activity & extracurricular activities in school & villages area
 - b) Contribution for infrastructure development - Community centers, Play Ground, Roads and Drainage System, Installation of Hand Pump

The modification to the above activities can be made with the permission of the district administration and need based activity for the development of nearby villages shall be implemented by PP in consultation with the District Collector and Gram panchayat.

- 10 District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year
- 11 Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages
- 12 Heavy vehicles (Hyway) should not be allowed on Kachcha, narrow roads
- 13 If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining it should be removed completely before rainy season every year
- 14 The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season
- 15 The lease area should be clearly distinguished and demarcated at the site

- 16 No diversion of active channel should be allowed for mining.
- 17 No mining shall be carried out in the area occupied by the river on the western side
- 18 A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs. 12.35 lacks (capital) is made with a recurring expenditure of 04.00 Lacks. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return. Under CSR Rs. 03.40 lacks/year is proposed for various activities. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CSR activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement
- 19 All the mining activities shall be carried out in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC
- 20 The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted
- 21 The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars
- 22 PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA
23. Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks.
- 24 The mining activity shall be done manually
- 25 NOC of gram panchayat should be obtained for the water requirement
- 26 Transport vehicles will be covered with tarpauline to minimize dust/sand particle emissions
- 27 For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate etc. and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 28 No Mining shall be carried out during Monsoon season
- 29 The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan
- 30 Established water conveyance channels should not be relocated, straightened or modified
- 31 If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
- 32 After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2:5:1 slope in the direction of the flow
- 33 PP shall take Socio-economic activities in the region through the Gram Panchayat
- 34 EC will be valid for mine lease period subject to a ceiling of 5 years
- 35 Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP.

B. Standard Conditions

- 1 No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed

- 2 The transportation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trolleys (tractor trolleys) and not by heavy vehicles
- 3 Only registered tractor trolleys which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose
- 4 The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector, should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region
- 5 Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled
- 6 It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin where mining is carried out
- 7 It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water
- 8 It shall be ensured that there is no fauna dependent on the river bed or areas close to mining for its nesting
- 9 Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration
- 10 Parking of vehicles should not be made on public places
- 11 Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken shall be carried out regularly
- 12 Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken
- 13 The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps
- 14 Plantation programme shall be carried out as per EMP. Soil sustenance of the vegetation should be ensured. No tree felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority
- 15 The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation
- 16 Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers
- 17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects
- 18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site
- 19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government
- 20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection
- 21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and

[Handwritten signature]

attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986

- 22 Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal (where necessary) within a period of 90 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010

(P. Narahari)

Member Secretary

Encl No
Copy to

1486

MPSEIAA/18 Dated 9/1/18

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya Bhopal
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Sansar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Sansar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad, M.P.
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M.P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF&CC, Gal, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110 003
7. Director (S), Regional office of the MOPF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3, Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khajuri Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462012
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M.P.
10. DEO, MPSEIAA - For upload on website
11. Guard file

(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)**

**Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parkar, E-5. Aera Colony
Bhopal-4620 16
visit us <http://www.mpselaa.nic.in>
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136**

No 4518 / SEIAA/16
Date 23.11.16

To,

Shri Sohan Singh Thakur,
M/s Thakur Constructions,
Village-Bamora Bahda Chhparai, Band,
District-Sagar (MP)-452001

Sub:- Case No. 3866/15 Prior Environment Clearance for **Sand Quarry** (open cast manual method) in an area of 19.746 ha. for production capacity of 1.25,000 cum/year at Khasra No. 226 at Village-Honyapipar Tehsil-Hoshangabad District-Hoshangabad (MP) by Shri Sohan Singh Thakur, M/s Thakur Constructions, Village-Bamora Bahda Chhparai, Band District-Sagar (MP)-452001

This has reference to your letter received in SEIAA office on 30.09.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz. the Form - I Appendix-1 Mining Plan & EMP the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

- II. There is no National Park/ Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500 m. from mining site. There is no forest boundary within 250m from mining site.
- III. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E) dated 14th September 2006.
- IV. Based on the information submitted, as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 363rd meeting dtd.07.11.2016 and decided to accept the recommendations of 51st SEAC- II meeting did 11.10.2016.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for **Sand Quarry** (open cast manual method) in an area of 19.746 ha. for production capacity of 1.25,000 cum/year at Khasra No. 226 at Village-Honyapipar Tehsil-Hoshangabad District-Hoshangabad (MP) for the lease period to Shri Sohan Singh Thakur, M/s Thakur Constructions, Village-Bamora Bahda Chhparai, Band, District-Sagar (MP)-452001 subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.

57

2. The production capacity shall be limited to the quantity as recommended by SEAC-II.
3. The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue & Mining Officials and proper boundary stones should be established.
4. No in-stream mining shall be allowed. The local authorities should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed.
5. The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.
6. The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP.
7. A petition (OA 404/2016, MA 759/2016, MA 920/2016 & MA 1099/2016) has been filed before the Hon'ble NGT (Principal Bench) New Delhi where MP-SEIAA is one of the respondent. Any order by the Hon'ble NGT shall be binding to PP.
8. PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river.
9. PP should ensure to conserve the existing trees.
10. No transportation shall be permitted within the village.
11. Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat.
12. The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site.
13. PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks.
14. District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year.
15. Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.
16. Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads.
17. If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining. It should be removed completely before rainy season every year.
18. The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season.
19. No diversion of active channel should be allowed for mining.
20. The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department; the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
21. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
22. Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks.
23. The mining activity shall be done manually.
24. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions.
25. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate etc. and no mining shall be carried out in the safety zone.
26. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure


- that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan
27. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified
 28. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
 29. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
 30. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'
 31. Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP

B. Standard Conditions

1. No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed
2. The transportation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trolleys (tractor trolleys) and not by heavy vehicles.
3. Only registered tractor trolleys which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose
4. The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region
5. Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEJAA will stand cancelled
6. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed/basin, where mining is carried out
7. It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water
8. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting.
9. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration
10. Parking of vehicles should not be made on public places.
11. Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly
12. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken
13. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps
14. Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority
15. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation
16. Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking

water for the mine workers

- 17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.
- 18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
- 19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies as applicable, in addition to the relevant officers of the Government.
- 20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
- 21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- 22 Any appeal against this prior environmental clearance shall be with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 18 of the National Green Tribunal Act, 2010.


(Anupam Bajaj)
Member Secretary

Encl No 4573 / SEIAA/16 Dated 03.11.16
Copy to -

1. Principal Secretary Department of Environment Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Park, E-5, Arera Colony Bhopal-462016
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Park, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad, M P
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M P
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, Govt. Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462002
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M P.
10. Managing Director, MP State Mining Corporation Ltd., Paryawas Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462002.
11. DEO, MPSEIAA - For upload on website
12. Guard file


(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)**

**Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-4620 16**

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel: 0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No 4510 SEIAA/16
Date 29.11.16

To,

Shri Santosh Raj Dwivedi,
Sub Lessee M P State Mining Corporation Ltd
235-A, Kheldar, G T Road, Fatehpur (UP)-212601

Sub:- Case No. 3599/15 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (open cast manual method) in an area of 20.243 ha for production capacity of 2,00,000 cum/year at Khsara No. 1163 at Village-Nimsadiya, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP) by Shri Santosh Raj Dwivedi Sub Lessee M P State Mining Corporation Ltd., 235-A, Kheldar, G T Road, Fatehpur (UP)-212601.

This has reference to your letter received in SEIAA office on 14.08.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz. the Form - I, Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

- II There is no National Park/Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500 m from mining site. There is no forest boundary within 250m from mining site.
- III The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006.
- IV Based on the information submitted as at Para (ii) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 383rd meeting dtd 07.11.2016 and decided to accept the recommendations of 52nd SEAC- II meeting dtd 12.10.2016.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for Sand Quarry (open cast manual method) in an area of 20.243 ha for production capacity of 2,00,000 cum/year at Khsara No. 1163 at Village-Nimsadiya, Tehsil-Hoshangabad District-Hoshangabad (MP) for the lease period to Shri Santosh Raj Dwivedi Sub Lessee M P State Mining Corporation Ltd., 235-A, Kheldar, G T Road, Fatehpur (UP)-212601 subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.

- 2 The production capacity shall be limited to the quantity as recommended by SEAC-II
- 3 The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue & Mining Officials and proper boundary stones should be established
- 4 No in-stream mining shall be allowed. The local authorities should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed
- 5 The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less
- 6 The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP
- 7 A petition (OA 404/2015, MA 758/2016, MA 920/2016 & MA 1099/2016) has been filed before the Hon'ble NGT (Principal Bench) New Delhi where MP-SEIAA is one of the respondent. Any order by the Hon'ble NGT shall be binding to PP
- 8 PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river.
- 9 PP should ensure to conserve the existing trees
- 10 No transportation shall be permitted within the village
- 11 Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat
- 12 The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site.
13. PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks.
- 14 District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 15 Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.
- 16 Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads
- 17 If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining. It should be removed completely before rainy season every year
- 18 The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season.
- 19 No diversion of active channel should be allowed for mining
- 20 The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department, the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted
- 21 PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA
- 22 Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks.
- 23 The mining activity shall be done manually.
- 24 Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions
- 25 For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate etc. and no mining shall be carried out in the safety zone
- 26 The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure

- that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan
27. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified
 28. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
 29. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow
 30. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'
 31. Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP

B. Standard Conditions

1. No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed
2. The transportation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trolleys (tractor trolleys) and not by heavy vehicles.
3. Only registered tractor trolleys which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose
4. The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector, should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region
5. Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled
6. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out
7. It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water
8. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting
9. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration
10. Parking of vehicles should not be made on public places
11. Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly
12. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken
13. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps
14. Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority
15. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles & fine matters escape during the course of transportation
16. Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)**

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-462016
visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel.0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No. 4572 / SEIAA / 15
Date 2.12.16

To,

Shri Vishwas Parmani Partner,
M/s Shri Associated Commerce,
Sub Lessee M.P. State Mining Corporation Ltd.,
Nehru Ward, Pipariya, Hoshangabad (MP)-466001

Sub.- Case No. 3492/15 Prior Environmental Clearance for Sand Quarry (Open cast manual method) in an area of 10.486 ha for production capacity of 82,800 cum/year at Khasra No -87/2 Vill -Aanchalkheda, Teh.-Babal, District-Hoshangabad (MP) by Shri Vishwas Parmani, Partner, M/s Shri Associated Commerce, Sub Lessee, M.P. State Mining Corporation Ltd, Nehru Ward, Pipariya, Hoshangabad (MP)-466001

This has reference to your letter received in SEIAA office on 14.07.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form - I Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

- ii. There is no National Park/ Sanctuary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500 m from mining site. There is no forest boundary within 250 m from mining site.
- iii. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O 1533 (E), dated 14th September 2006.
- iv. Based on the information submitted, as at Para (ii) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 385th meeting did 16.11.2016 and decided to accept the recommendations of 54th SEAC- II meeting did 14.10.2016.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for Sand Quarry (Open cast manual method) in an area of 10.486 ha for production capacity of 82,800 cum/year at Khasra No.-87/2, Vill -Aanchalkheda, Teh.-Babal, District-Hoshangabad (MP) for the lease period to Shri Vishwas Parmani, Partner, M/s Shri Associated Commerce Sub Lessee, M.P. State Mining Corporation Ltd., Nehru Ward, Pipariya, Hoshangabad (MP)-466001, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.
2. The production capacity shall be limited to the quantity as recommended by SEAC-II.
3. The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue.

1 of 4

Works Department & Mining Officials and proper boundary stones should be established in such a way that a distance of 200m from the existing road bridge on the southern side should be left as "no mining zone".

- 4 No in-stream mining shall be allowed. The Mining Officer, Hoshangabad should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed.
- 5 The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.
- 6 The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP.
- 7 A petition (OA 404/2016, MA 758/2016, MA 920/2016 & MA 1099/2016) has been filed before the Hon'ble NGT (Principal Bench) New Delhi where MP-SEIAA is one of the respondent. Any order by the Hon'ble NGT shall be binding to PP.
- 8 PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river.
- 9 PP should ensure to conserve the existing trees.
- 10 No transportation shall be permitted within the village.
- 11 Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat.
- 12 The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site.
- 13 PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks.
- 14 District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 15 Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.
- 16 Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads.
- 17 If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining it should be removed completely before rainy season every year.
- 18 The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season.
- 19 No diversion of active channel should be allowed for mining.
- 20 The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department; the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 21 PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 22 Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks.
- 23 The mining activity shall be done manually.
- 24 Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions.
- 25 For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.


26. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
27. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
28. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
29. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
30. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
31. Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP.

B. Standard Conditions

1. No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed.
2. The transportation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trolleys (tractor trolleys) and not by heavy vehicles.
3. Only registered tractor trolleys which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose.
4. The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector, should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region.
5. Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled.
6. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin where mining is carried out.
7. It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
8. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting.
9. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration.
10. Parking of vehicles should not be made on public places.
11. Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly.
12. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken.
13. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit waste dumps.
14. Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority.
15. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation.
16. Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking

water for the mine workers.

- 17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.
- 18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
- 19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government.
- 20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
- 21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- 22 Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.


(Anupam Rajan)
Member Secretary

Endt No 4573, SEIAA/16 Dated 2.12.16

Copy to -

- 1 Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal
- 2 Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Pansar E-5, Arera Colony Bhopal-462016
- 3 Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Pansar E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
- 4 Collector, District Hoshangabad, M.P.
- 5 Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M.P.
- 6 IA, Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, Govt. Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003
- 7 Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendhya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462015
- 8 Director Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462002
- 9 District Mining Officer, District Hoshangabad, M.P.
- 10 Managing Director, MP State Mining Corporation Ltd., Paryawas Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462002
- 11 DEO, MPSEIAA - For upload on website
- 12 Guard file


(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)**

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-4620 16

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Tel:0755-2466970, 2466859

Fax : 0755-2462136

No. 5430 /SEIAA/17

Date 28.3.17

To

M/s A D Agro Pvt Ltd, Shri Atul Goldal
Sub Lessee M P State Mining Corporation Ltd
18, Sagar Metha Apartment, MG Road, Indore (MP)-452001

Sub:- Case No. 3549/2016 Prior Environmental Clearance for Sand Quarry (Open cast manual method) in an area of 11 655 ha for production capacity of 1,16,500 cum/year at Khasra No -365, Village-Mehraghat, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP), by M/s A.D. Agro Pvt. Ltd., Shri Atul Goldal, Sub Lessee M P State Mining Corporation Ltd., 18, Sagar Metha Apartment, MG Road, Indore (MP)-452001

This has reference to your letter received in SEIAA office on 30.07.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form - I, Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority;

- II. There is no National Park/ Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500 m. from mining site. There is no forest boundary within 250 m from mining site.
- III. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E) dated 14th September 2006.
- IV. Based on the information submitted as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 409th meeting dtd 16.02.2017 and decided to accept the recommendations of 59th SEAC. II meeting dtd 11.11.2016.

Hence Prior Environmental Clearance is granted for Sand Quarry (Open cast manual method) in an area of 11 655 ha for production capacity of 1,16,500 cum/year at Khasra No.-365, Village-Mehraghat Tehsil-Hoshangabad District-Hoshangabad (MP) for the lease period to M/s A.D. Agro Pvt Ltd, Shri Atul Goldal, Sub Lessee M P State Mining Corporation Ltd, 18, Sagar Metha Apartment, MG Road, Indore (MP)-452001, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. This EC will be subject to the Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi final orders in OA No. 404/2016. No mining operation shall commence on the lease area till the final orders are issued. Mining Officer, Bhand, shall be responsible to oversee that PP or his representative shall adhere to this condition.
2. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.
3. The production capacity shall be limited to the quantity (116500 cum/year).
4. No in-stream mining shall be allowed. The Mining Officer, Hoshangabad should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed.
5. The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.
6. The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarnath Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP.
7. PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river.
8. PP should ensure to conserve the existing trees.
9. No transportation shall be permitted within the village.
10. Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat.
11. The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site.
12. PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks.
13. District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year.
14. Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.
15. Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachrha narrow roads.
16. If causeway (Raptal) is required to be constructed for mining. It should be removed completely before rainy season every year.
17. The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season.
18. No diversion of active channel should be allowed for mining.
19. The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks.
22. The mining activity shall be done manually.
23. Transport vehicles will be covered with tarpauline to minimize dust/sand particle emissions.
24. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc. and no mining shall be carried out in the safety zone.
25. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining.

- operations at levels prescribed in the mining plan.
26. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened or modified
 27. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
 28. After mining is complete the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
 29. PP shall take Socio-economic activities in the region through the "Gram Panchayat".
 30. Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP

B. Standard Conditions

1. No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed
2. The transportation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trolleys (tractor trolleys) and not by heavy vehicles.
3. Only registered tractor trolleys which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose
4. The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector, should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region
5. Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled.
6. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out
7. It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water
8. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting
9. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration
10. Parking of vehicles should not be made on public places
11. Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken shall be carried-out regularly
12. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken.
13. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps.
14. Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area except only with the permission from competent authority
15. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation.
16. Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers

- 17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.
- 18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site
- 19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable in addition to the relevant officers of the Government
- 20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection
- 21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act 1986
- 22 Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Rajm

(Anupam Rajan)
Member Secretary

5431
Endt No.

/SEIAA/17 Dated 4.3.12

Copy to -

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board Paryavaran Pansar, E-5 Arera Colony Bhopal-462016
3. Member Secretary Madhya Pradesh Pollution Control Board Paryavaran Pansar E-5, Arera Colony Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad, M. P
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad M. P
6. J.A. Division Monitoring Cell MoEF & CC, Gol. Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110 003
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan Arera Hills Bhopal - 462002
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M. P
10. DEO, MPSEIAA - For upload on website
11. Guard file

Sanjeev Sachdev

(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)**

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax 0755-2462136

No. 3438 / SEIAA / 17
Date 01.03.17

To,

Shri R K Nema, DGM,
MP State Mining Corporation, Paryavas Bhawna
Block-A, 2nd Floor, Jail Road Arera Hills, Bhopal (MP)-462011

Sub:- Case No. -5165/16 - Prior Environmental Clearance for Sand Quarry (Open cast manual method) in an area of 17.500 ha for production capacity of 2.62.500 cum/year at Khasra No -181/1 Village-Rajon, Tehsil-Babai District-Hoshangabad (MP) By Shri R K Nema, DGM MP State Mining Corporation Paryavas Bhawna Block-A 2nd Floor Jail Road Arera Hills Bhopal (MP)-462011.

This has reference to your letter received in SEIAA office on 27.04.2016 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz the Form - I Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

- II. There is no National Park/ Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius There is no forest boundary within 250 m from mining site
- III The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006
- IV Based on the information submitted, as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 408th meeting dtd 15.02.2017 and decided to accept the recommendations of 53rd SEAC- II meeting dtd 13.10.2016

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for Sand Quarry (Open cast manual method) in an area of 17.500 ha for production capacity of 2,62,500 cum/year at Khasra No -181/1, Village-Rajon, Tehsil-Babai, District-Hoshangabad (MP) for the lease period to Shri R K Nema, DGM, MP State Mining Corporation, Paryavas Bhawna, Block-A 2nd Floor Jail Road, Arera Hills Bhopal (MP)-462011, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

10/4

A. Specific Conditions

1. This EC will be subject to the Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi final orders in OA No 404/2016. No mining operation shall commence on the lease area till the final orders are issued. Mining Officer, Hoshangabad shall be responsible to oversee that PP or his representative shall adhere to this condition.
2. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.
3. The production capacity shall be limited to the quantity (262500 cum/year).
4. No excavation should be carried out from the agriculture fields as it will affect the river bank. Safe distance should be kept from the agriculture field and only exposed dry portion of the river should be mined. Mining should be carried out leaving 50 m. from the river bank. The river banks should be conserved and plantation be done in three rows.
5. No in-stream mining shall be allowed. The Mining Officer, Hoshangabad should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed.
6. The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.
7. The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No 49/2016 (Amr Kant Mishra Vs State of MP & others) shall be obligatory on the part of PP.
8. PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river.
9. PP should ensure to conserve the existing trees.
10. No transportation shall be permitted within the village.
11. Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat.
12. The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site.
13. PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks.
14. District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year.
15. Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.
16. Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads.
17. If causeway (Rajpi) is required to be constructed for mining it should be removed completely before rainy season every year.
18. The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season.
19. No diversion of active channel should be allowed for mining.
20. The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department; the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
21. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
22. Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks.
23. The mining activity shall be done manually.
24. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/s and particle emissions.
25. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be

ensured taking into account the structural parameters: location aspects, flow rate, etc. and no mining shall be carried out in the safety zone.

26. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
27. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
28. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
29. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
30. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
31. Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP.

B. Standard Conditions

1. No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed.
2. The transportation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trolleys (tractor trolleys) and not by heavy vehicles.
3. Only registered tractor trolleys which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose.
4. The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region.
5. Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled.
6. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
7. It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
8. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting.
9. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration.
10. Parking of vehicles should not be made on public places.
11. Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly.
12. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken.
13. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps.
14. Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area except only with the permission from competent authority.
15. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of



transportation

- 16 Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers.
- 17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.
- 18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site
- 19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable in addition to the relevant officers of the Government.
- 20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection
- 21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986
- 22 Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010



(Anupam Rajan)
Member Secretary

Encl No 5433 / SEIAA/17 Dated 25.11.17
Copy to -

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony Bhopal-462016
3. Member Secretary Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad, M P
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M P
6. I A, Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, Govt. Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110 003
7. Director (S) Regional office of the MOEF, Western Region Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining Madhya Pradesh 29-A, Khanj Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462002
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M P
10. DEO, MPSEIAA - For upload on website
11. Guard file


(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge


- 16 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the offices of the Local Bodies, Panchayat Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government.
- 17 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protections.
- 18 Concealing factual data or submission of false and fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act 1986.
- 19 Any appeal against this prior Environmental Clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act 2010.


(Ritu Chouhan)
Member Secretary, DEIAA

Endt No. 122 /DEIAA/16 Dated

Copy to :-

- 1- Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
- 2- Member Secretary, DEAC, District Hoshangabad, M.P.
- 3- Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Avera Colony, Bhopal-462016
- 4- Collector, District, Hoshangabad M.P.
- 5- Divisional Forest Officer, District Hoshangabad M.P.
- 6- I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, Gol, Indra Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road New Delhi-110003
- 7- Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road NO. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal - 462016
- 8- Director, Geology & Mining, Khanij Bhavan, Arera Hills Bhopal M.P.
- 9- District Mining Officer, District, Hoshangabad, M.P.
- 10- Guard File.


(Ritu Chouhan)
Member Secretary, DEIAA

- 16 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the members of the Local Bodies, Panchayat Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government.
- 17 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
- 18 Concealing factual data or submission of false and fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act 1986.
- 19 Any appeal against this prior Environmental Clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act 2010.


 (Ritu Chouhan)
 Member Secretary, DEIAA

Endt No. ¹²² /DEIAA/16 Dated
 Copy to :-

- 1- Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal
- 2- Member Secretary, DEAC, District Hoshangabad, M.P.
- 3- Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
- 4- Collector, District, Hoshangabad M.P.
- 5- Divisional Forest Officer, District Hoshangabad M.P.
- 6- I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, Gol, Indra Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road New Delhi- 110003
- 7- Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal - 462016
- 8- Director, Geology & Mining, Khanj Bhavan, Arera Hills Bhopal M.P.
- 9- District Mining Officer, District, Hoshangabad, M.P.
- 10- Guard File.


 (Ritu Chouhan)
 Member Secretary, DEIAA



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)**

**Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parishad, E-5, Arera Colony
Bhopal-462016**

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel: 0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No. 1526 : SEIAA/16
Date 19.5.16

To

M/s Sainik Foods Pvt. Ltd, Sub Lessee of MPSMCL,
Shri Litesh Jha, Authorized Signatory
H.I.G.D-5, Dindayal Nagar, Phase-1
Kanth Road, Muradabad (UP)-462001

Sub:- Case No.5136/16 Prior Environment Clearance for River Sand Quarry (Opencast Manual Method) in an area of 16.967 ha. for production capacity of 4,40,000 cum/year (as per SEAC recommendation) at Khasra No. 58 at Village-Bedar, Tehsil-Vankhedi, District-Hoshangabad (MP) by M/s Sainik Foods Pvt. Ltd, Sub Lessee of MPSMCL, Shri Litesh Jha, Authorized Signatory, H.I.G.D-5, Dindayal Nagar, Phase-1, Kanth Road, Muradabad (UP)-462001.

This has reference to your letter received in SEIAA office on 07.04.2016 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form - I, Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

- ii. There is no National Park/ Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no forest boundary within 250m from mining site.
- iii. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O 1533 (E) dated 14th September 2006.
- iv. Based on the information submitted as at Para (iii) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 327th meeting dtd.05.05.2016 and decided to accept the recommendations of 20th SEAC - II meeting dtd. 26.04.2016.

Hence Prior Environmental Clearance is granted for River Sand Quarry (Opencast Manual Method) in an area of 16.967 ha. for production capacity of 4,40,000 cum/year (as per SEAC recommendation) at Khasra No. 58 at Village-Bedar, Tehsil-Vankhedi, District-Hoshangabad (MP) for the lease period M/s Sainik Foods Pvt. Ltd, Sub Lessee of MPSMCL, Shri Litesh Jha, Authorized Signatory, H.I.G.D-5, Dindayal Nagar, Phase-1, Kanth Road, Muradabad (UP)-462001, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1 of 1

Singh

- 1 PP shall not start mining activity before execution of lease agreement
- 2 The production capacity shall be limited to the quantity as recommended by SEAC-II
- 3 The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue & Mining Officials and proper boundary stones should be established
- 4 No in-stream mining shall be allowed. The local authorities should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed
- 5 The depth of the pit shall not exceed 3.0 m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less
- 6 The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP
- 7 PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river
- 8 Before commencing the mining activity, site demarcation should be done leaving 100 mtr from the village settlement as 'no mining zone'. The demarcation should be done by the Revenue Officials in the presence of Mining Officer, Hoshanabad
- 9 No transportation shall be permitted within the village
- 10 Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat
- 11 The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site
- 12 PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks
- 13 District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year
- 14 Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.
- 15 Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads
- 16 If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining. It should be removed completely before rainy season every year
- 17 The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season
- 18 No diversion of active channel should be allowed for mining
- 19 20 meter area be left from the both side of the banks in the OI, as no mining area to avoid bank erosion
- 20 The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted
- 21 PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 22 Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks above high flood level and a log book be maintained
- 23 The mining activity shall be done manually
- 24 Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading of sand. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded and in extreme summer season hourly road wetting be done
- 25 The sand shall be transported by small trolleys up to the main transport vehicle

2014

[Handwritten signature]

- 26 Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions
- 27 For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc. and no mining shall be carried out in the safety zone
- 28 The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan
- 29 Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified
- 30 If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
- 31 After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 32 PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'


B. Standard Conditions

- 1 The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region
- 2 Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled
- 3 It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed/basin where mining is carried out
- 4 It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water
- 5 It shall be ensured that there is no fauna dependent on the river bed or areas close to mining for its nesting
- 6 Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration
- 7 Parking of vehicles should not be made on public places
- 8 Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken shall be carried out regularly
- 9 Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken
- 10 The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps
- 11 Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree felling shall be done in the leased area except only with the permission from competent authority
- 12 The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation
- 13 Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers
- 14 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and

1 of 1

They shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

15. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
16. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies Panchayat and Municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government.
17. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
18. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
19. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 15 of the National Green Tribunal Act, 2010.


(Ajatshatru Shrivastava)
Member Secretary

Encl. No. 1527, SE.A/216 Dated 13.5.18
Copy to

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad, M.P.
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M.P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, Govt. Indira Paryavaran Bhawan, 101, Bagh Road, New Delhi-110 003
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29 A, Khani Bhawan, Arera Hills, Bhopal-462002
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M.P.
10. Guard file
11. M.D., H.P., S.M.C., Bhopal H.P.


(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryaveeran Parkar E-5, Arera Colony

Bhopal-462016

visit us <http://www.mpsesa.nic.in>

Tel 0755-2488970, 2488859

Fax 0755-2482138

No 1179 / SEIAA / 18
Date 3.5.16

To,

Shri Raj Kumar Nema, OIC,

Sub Off. M.P. State Mining Corporation Ltd

H.No. 12 Ward No. 17, Sainath Colony

Meenakshi, Hoshangabad (M.P.) 461001

Mob 9406525394 Email mpstateibd@vsnl.in

Sub. Case No. - 2931/2015 Prior Environmental Clearance for River Sand Mine (opencast manual method) in an area of 12.145 Ha. for production capacity of 1,10,000 cum/year, at Khasra no.-60, Vill - Divlakhedi, Teh. Hoshangabad, District Hoshangabad (M.P.) by Shri Raj Kumar Nema, OIC, Sub Off., M.P. State Mining Corporation Ltd., H.No. 12 Ward No. 17, Sainath Colony, Meenakshi, Hoshangabad (M.P.)-461001

This has reference to your application received in SEIAA office on 20/04/2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz. the Form - I, Appendix-1, Mining Plan, EMP and the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

- i. There is no National Park/Sanctuary and inter-state boundary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500m from mining site. The forest boundary is 20 km from mining site.
- ii. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006.
- iii. Based on the information submitted as at Para (ii) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 318th meeting dtd. 20/04/2015 and decided to accept the recommendations of 17th SEAC II meeting dtd. 06/04/2016.

Hence Prior Environmental Clearance is granted for River Sand Mine (opencast manual method) in an area of 12.145 Ha. for production capacity of 1,10,000 cum/year, at Khasra no.-60, at Vill - Divlakhedi, Teh. Hoshangabad, District Hoshangabad (M.P.) for the lease period to Shri Raj Kumar Nema, OIC, Sub Off. M.P. State Mining Corporation Ltd., H.No. 12 Ward No. 17, Sainath Colony, Meenakshi, Hoshangabad (M.P.)-461001; subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent standard conditions.

Specific Conditions

1. OP shall not start mining activity before execution of lease agreement.
2. The production capacity shall be limited to the quantity proposed by SEAC-II.
3. The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue & Mining Officials and proper boundary stones should be established.

Encl No
Copy to

1190

SE/AA/14 Dated 3.5.16

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantraaya Bhopal
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad, M.P.
5. District Forest Officer, District Hoshangabad, M.P.
6. J.A. Officer, Monitoring Cell, MPCHA, District Office, Paryavaran Bhawan, Link Road, New Delhi-110003
7. Director (S), Regional office of the MJP, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Khanij Bhavan, Arera Hills Bhopal M.P.
9. District Mining Officer, District, Hoshangabad, M.P.
10. Guard file


Dr. R.K. Jain
Officer-in-Charge



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM

CCA-Renewal

CONSENT NO: ***

PCB ID: 109364

Outward No: 100443,15/06/2020

Consent No:AW-51686

To,

The Occupier,

M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd. (Raipur Sand Mine 10.55 Hect.) Hoshangabad,

Kh.No. 126 (Tawa River Left Bank), Village-Raipur, Tehsil & Distt.-Hoshangabad,

City - Raipur,

Tal : Hoshangabad, Dist : Hoshangabad, (M.P.)

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 28 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: 1. Your Renewal of Consent Application Receipt No. 1003113 Dt. 11/06/2020
2. M.P.State Mining Corporation letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS ->

a. Location: Lat & Long - 1) 22° 47' 28.332" N & 77° 47' 31.416" E (2) 22° 47' 31.726" N & 77° 47' 26.764" E (3) 22° 47' 19.547" N & 77° 47' 26.261" E (4) 22° 47' 19.696" N & 77° 47' 12.170" E,
Kh.No. 126 (Tawa River Left Bank), Village-Raipur, Tehsil & Distt.-Hoshangabad, (M.P.)

b. Mining Lease area capital 10.55 ha

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	168890 Cubic Meter per year

Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per DM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.

2) For any change in above mining lease area, production capacity, MP shall obtain fresh consent from the Board.

3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by this office NGT in OA 102020 (CZ) dt dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ) dt dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.

4) Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization.

Board reserves the right to amend/delete / revoke the above condition in part or whole as and when required

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information

2. Managing Director, Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.

3. Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

4. For file

e-Signed On 15/06/2020 13:54:58

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

TPAV # EEK9JH4VW3

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Ardh Colony
Paryavaran Parkar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.40 KL/day

2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 12.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD ₅ (at 20°C)	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results-

Monitoring information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-

Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition.

Mine management should provide toilets for labors.

Consent No: A W-51686



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Parvatan Parisar, Bhopal - 462 016 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

- a. Particulate Matter (less than 10 micron) - $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- c. Sulphur Dioxide (SO₂) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- d. Nitrogen Oxides (NO_x) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- e. Carbon Monoxide (CO) (8 hrs. Basis) - $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air conditions:-

- 1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
- 2) Mine management shall not use village road for transportation.
- 3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
- 4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

Consent No:AW-51686



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Anand Colony
Paryavaran Parkar, Bhopal - 466 001
Tel : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

- The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials;
 - To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or
 - To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
- This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.
- The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
- This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
- Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.**
- The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation**
- Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 43(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
- After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:
 - Violation of any terms and conditions of this Consent
 - Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
 - A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
- On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry**

Additional conditions:

- If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
- The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened or modified.
- Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
- The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done
- The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
- The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
- Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpolins and optimally loaded.
- After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- Mine management shall submit the annual replenishment plan.
- The Mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
- The mine Management shall comply with all Acts/Rules, directions, guide lines issued by



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Parvavara Parisar, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable


Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

 e-Sign

Digitally signed by the authority

e-Signed On 15/06/2020 13:54:58
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV#EEKUJ14VW3



ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51686



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Parvathan Purisar, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Renewal	CONSENT NO: ***	PCB ID: 109220
------------	-------------	-----------------	----------------

Outward No: 100444.15/06/2020

Consent No: AW-51687

To, **The Occupier,**

M/s. The M.P. State Mining Corporation Ltd./ Horiyapipar Sand Mine-19.74 Hect., H'Bad,
Kh. no. 226, Village- Horiyapipar, Tehsil & distt. Hoshangabad,
City : Horiyapipar,
Dist : Hoshangabad, Tal : Hoshangabad, SIDC : Not In SIDC

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Ref: 1. Your Consent to Operate Application Receipt No. 1002918 Dt. 11/06/2020
2. M P State Mining Corporation Ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Kh. no. 226, Village- Horiyapipar, Tehsil & distt. Hoshangabad, Horiyapipar, Hoshangabad, Hoshangabad
- b. The Mining lease area: 19.74 Hect
- c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of River Sand	1251000.00 Cubic Meter Per Year

- Note:-**
- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
 - 2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
 - 3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ) on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
 - 4) Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

Signature
15/06/2020

Signed On 15/06/2020 15:40:46
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV#HC81Y5K4CA

Signature

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 462018
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage an out fall of the unit shall not exceed 0.80 KL/day
2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD ₅ @ 20°C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-

- i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-

- i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

- ii. The applicants shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

- iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
- iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report online to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject in clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-

Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

8. Industry/Institute/Institution management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition.

Waste management should provide toilets for labors.

Consent No:AW-51687



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
 - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - c. Sulphur Dioxide [SO₂] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.
5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:

- 1) Mine management shall provide pucca road for material transportation
- 2) Mine management shall not use village road for transportation.
- 3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
- 4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

Consent No:AW-51687



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 462016 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or
 - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
2. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.
3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges; nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act/ Rules.
5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.
7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established when conveyance channels should not be relocated, straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulms and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with the Acts/Rules, directions, guide lines issued by




Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parishad, Bhopal - 462 016 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.


Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

 Digitally signed by

Digitally signed by

e-Signed On 15/06/2020 15:40:46
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # HC8EV5K#CA



ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51687



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parishad, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM

CCA-Renewal

CONSENT NO: ***

PCB ID: 109190

Outward No: 100440,15/06/2020

Consent No:AW-51683

To,

The Occupier,

M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd. (Nimsadiya Sand Mine- 20.243 Hect.), Hbad,
Shri Santosh Raj Dwivedi

Kh. No. 1163, Vill-Nimsadiya, Tehsil & Dist.-Hoshangabad,

City : Nimsadiya,

Dist : Hoshangabad, Tal : Hoshangabad, SIDC : Not In SIDC

Subject: Grant of renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: 1. Your Consent to Operate Application Receipt No. 1001104 Dt. 11/06/2020
2. M.P State Mining Corporation Ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for renewal of consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- Location: Latitude 22.43° - 41.03° to 22.43° - 59.06° N & Longitude 77.49° - 11.94° to 77.49° - 31.70° E.
Kh. No. 1163, Vill-Nimsadiya, Tehsil & Dist -Hoshangabad, Nimsadiya, Hoshangabad, Hoshangabad
- The Mining lease area: 20.243 Hect
- Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Mining of Sand	200000.00 Cubic Meter Per Year

- Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OIA dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
- 2) For any change in above mining lease area, production capacity, OP land shall obtain fresh consent from the Board
- 3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OIA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OIA 17/2019 (CZ) on dated 26/11/2019 and in OIA 160/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
- 4) Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- + Conditions under Water Act
- + Conditions under Air Act
- + General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section) Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

Signed
15/06/2020

e-Signed On 15/06/2020 13:14:02
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
IPAV # YFG4D71609

Achhut Mishra

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 462 016 MP
Tele : 0755-2461191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 3 00 KL/day
2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD ₅ (20 °C)	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-

- i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste (latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-

- i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
 - (i) The date, exact place and time of sampling
 - (ii) The dates on which analysis were performed
 - (iii) Who performed the analysis?
 - (iv) The analytical techniques or methods used and
 - (v) The result of all required analyses
- iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
- iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart recordings continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to causes.

7. Disposal of Collected Solid waste-

Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eater's body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition.

Mine management should provide toilets for labours. **Consent No:AW-51083**



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Parjavaran Parisar, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated. 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

- a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- c. Sulphur Dioxide (SO₂) (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- d. Nitrogen Oxides (NO_x) (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- e. Carbon Monoxide (CO) (8 hrs. Basis) - 2000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made proper to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:

- 1) Mine management shall provide pucca road for material transportation
- 2) Mine management shall not use village road for transportation
- 3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements
- 4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

Consent No:AW-S1683



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board
 - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or
 - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
2. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.
3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act, 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.
7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional conditions:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with all Acts/Rules, directions, guide lines issued by



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 462 016 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1986 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board


Digitally signed by
Signature

e-Signed On 15/06/2020 13:04:02
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # TFG4D716Q9



ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No: AW-51683



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Purjayapan Parkar, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM

CCA-Renewal

CONSENT NO: ***

PCB ID: 109215

Outward No:100442,15/06/2020

Consent No:AW-51685

To, **The Occupier,**

M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd.(Aanchalkheda Sand Mine-10.486 Hect), HBad,
Kh.No. 87/2, Village-Aanchalkheda, Tehsil-Babal, Dist.-Hoshangabad,
City : Aanchalkheda,
Dist : Hoshangabad, Tal : Babal, SIDC : Not In SIDC

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Ref: 1- Your Consent to Operate Application Receipt No. 1003107 Dt. 11/06/2020
2- M P State Mining Corporation Ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein, The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Kh.No. 87/2, Village-Aanchalkheda, Tehsil-Babal, Dist.-Hoshangabad
- b. The Mining lease area: 10.486 Hect
- c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of River Sand	12600.00 Cubic Meter Per Year

- Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
- 2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
- 3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by the Hon'ble NGT in OA 18/2020 (C2) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (C2) on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
- 4) Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. On line application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures.-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

e-Signed On 15/06/2020 13:53:44
(Organic Authentication on AADHAR from UID AI Server)
TPAV#OPOMNS146X

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parishad, Bhopal - 462017
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

- The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.40 KL/day
- Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

col	Between	50 - 90
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BODs Day- 27 ^{0c}	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

- Compilation of Monitoring data-
 - Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
 - Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
- Recording of Monitoring Activities & Results-
 - The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
 - The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
 - The date, exact place and time of sampling
 - The dates on which analysis were performed
 - Who performed the analysis?
 - The analytical techniques or methods used and
 - The result of all required analysis
 - If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
 - The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.
- Reporting of Monitoring Results-
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report online to the Board.
- Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses
- Disposal of Collected Solid waste:-
Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.
- Industry/Institute/trade management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

Mine management should provide toilets for labors

Consent No:AW-51685



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2464191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MUEP gazette notification no. GSR/820/EI, dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

- a. Particulate Matter (less than 10 micron) - $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- c. Sulphur Dioxide (SO₂) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- d. Nitrogen Oxides (NO_x) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- e. Carbon Monoxide (CO) (8 hrs. Basis) - $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during nighttime.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:

- 1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
- 2) Mine management shall not use village road for transportation.
- 3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
- 4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PII certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

Consent No:AW-51685



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
 - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
2. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.
3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.
7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or entrenched.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with the Acts/Rules, directions, guide lines issued by



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/PCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1986 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicants without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

Signature
15/06/2020 13:53:44

Digitally signed by AADHAR
e-Signed On 15/06/2020 13:53:44
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # OFOMNS146X

Achyut Anand Mishra
ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51695



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2446191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM

CCA-Renewal

CONSENT NO: ***

PCB ID: 110945

Outward No: 100441, 15/06/2020

Consent No: A/W-51484

To: **The Occupier,**
M/s. The M.P. State Mining Corporation Ltd. (Mehraghat Sand Mine-11.655 Hect) Hoshangabad,
Kh. No. 365, Village-Mehraghat, Tehsil & Distt.-Hoshangabad,
City : Mehraghat,
Tal : Hoshangabad, Dist : Hoshangabad, (M.P.)

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Ref: 1. Your Renewal of Consent Application Receipt No. 1003109 Dt. 11/06/2020
2. M P State Mining Corporation ltr no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for Renewal of Consent, has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Latitude and Longitude: (A) 22° 40' 49.39"N & 77° 50' 25.33"E (B) 22° 40' 55.50"N & 77° 50' 43.08"E (C) 22° 41' 02.53"N & 77° 50' 40.80"E (D) 22° 40' 56.21"N & 77° 50' 22.76" E.
K No. 365, Area 11.655 Ha, Village-Mehraghat, Tehsil & Distt.-Hoshangabad (M.P.)
- b. Mining Lease area: 11.655 ha
- c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	1,16,500 Cubic Meter per year

- Note:-** 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
- 2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
- 3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 1/0/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 172019 (CZ) on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
- 4) Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions-

CC to :-

- 1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
- M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
- Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

Signed On 15/06/2020 13:05:20
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # X62214J6V7

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-3, Arera Colony
Paryavaran Parkar, Bhopal - 46 2019
Tel : 0755-246191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.40 KL/day
2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards:-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD ₅ Days 27 °C	Not exceed	50 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-

- i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results:-

- i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
 - (a) The date, exact place and time of sampling
 - (ii) The dates on which analysis were performed
 - (iii) Who performed the analysis
 - (iv) The analytical techniques or methods used and
 - (v) The result of all required analysis
- iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
- iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unsolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses

7. Disposal of Collected Solid waste-

Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to waters body habitat

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XON in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

Mine management should provide toilets for labors.

Consent No:AW-51684



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-3, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 46 MP
Tel : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
 - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - c. Sulphur Dioxide (SO₂) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
 - d. Nitrogen Oxides (NO_x) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
 - e. Carbon Monoxide (CO) (8 hrs. Basis) - $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.
5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:

- 1) Mine management shall provide pucca road for material transportation
- 2) Mine management shall not use village road for transportation
- 3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
- 4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise

Consent No. AW-51484



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Bharatpur Road, Bhopal-462 016 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent or,
 - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
2. This consent/authorisation is transferable. In case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Director/proprietor should immediately apply for the same.
3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per their Act / Rules.
3. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.
7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional conditions:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with tarpauline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with all the conditions, directions, guide lines issued by



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parkar, Bhopal- 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742


MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 . The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board


Digitally signed by the authority

e-Signed On 15/06/2020 13:05:20
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # X62214J6V7



ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51684



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parkar, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM

CCA-Renewal

CONSENT NO: ***

PCB ID: 110840

Outward No:100437,15/06/2020

Consent No:AW-51680

To,
The Occupier,
M/s. The M.P. State Mining Corporation Ltd.(Rajon Sand Mine -17.500 Hect.),Hbad,
Kh. no. 181/1, Village : Rajon, Teh: Babai, Dist. Hoshangabad,
City : Rajon,
Tel : Babai, Dist : Hoshangabad, (M.P.)

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1986

Ref: 1. Your Renewal of Consent Application Receipt No. 1003108 Dt. 11/06/2020
2. M P State Mining Corporation Ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Lat. & Long (A) 22° 40' 24.30"N & 77° 55' 12.37"E, (B) 22° 40' 24.55"N & 77° 55' 28.12"E, (C) 22° 40' 46.06"N & 77° 55' 22.34"E (D) 22° 40' 44.65"N & 77° 55' 11.38"E,
Kh. no. 181/1, Village Rajon, Teh Babai, Dist Hoshangabad, (M.P.)
- b. Mining Lease area: 17.500 ha
- c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
MINING OF SAND	2,62,500 Cubic Meter Per Year

- Notes:-*
- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance As per OIA dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 31/03/2020 therefore after 31/03/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
 - 2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
 - 3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OIA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OIA 17/2019 (CZ) on dated 26/11/2019 and in OIA 36/2015 (PB) pertaining to sustainable sand mining
 - 4) Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
2. Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional office, MPPCB, Mandideep, (M.P.)

Signed On 15/06/2020 12:59:39
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # ISULH268A7

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Azadi Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 462 016 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.70 KL/day
2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD ₅ @ 20°C	Not exceed	20 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-

- i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information relating from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report online to the Board

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities deemed as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses,

7. Disposal of Collected Solid waste-

Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition;

Mine management should provide toilets for labors.

Consent No:AW-51680



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Purisar, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR [PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION] ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

- a. Particulate Matter (less than 10 micron) - $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- c. Sulphur Dioxide (SO₂) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- d. Nitrogen Oxides (NO_x) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- e. Carbon Monoxide (CO) (8 hrs. Basis) - $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:

- 1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
- 2) Mine management shall not use village road for transportation.
- 3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
- 4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

Consent No:AW-51680



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Bhopal - 466 001 MP
Tele - 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
- b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent
- c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or,
- e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

2. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act, 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

5. **Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.**

6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:

- (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
- (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
- (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpolines and regularly loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with all Acts/Rules, directions, guide lines issued by



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742


MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1986 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board


Digitally signed with Aadhar

e-Signed On 15/06/2020 12:59:39
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 15ULH268A7



ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51680



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 28C, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tel : 9340299512

RED-SMALL

CCA-Renewal

CONSENT NO: ***

PCB ID: 107114

Order No: 103/13/06/2020
NO: 1/APPCH/IND

Consent No: AW-76603

To,
The Occupier,
M/s. The M.P. State Mining Corporation Ltd. (Lessee)
M/s Sainik Industries Pvt Ltd (Sub Lessee)
(Kasda Raiyat Sand Mine-400 Hect.)
Flat No. 201 & 202, Vyas Plaza Building No. 2,
Local Shopping Centre, Kankaji,
New Delhi - 110019

Subject: Grant of Consent to Operate under section 23 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1003/10 Dt. 11/06/2020

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Act and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter.

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Kh.No. 18, Village-Kasda Raiyatwadi, Tehsil-Itarsi, Distt.-Hoshangabad.
- b. The capital investment in lakhs: Rs. 20 Lakh
- c. Product & Production Capacity:

PRODUCT	CAPACITY / YEAR
Mining of River Sand	118800 M ³ (One Lakh Eighteen Thousand Eight Hundred Cubic Meter per Year Only)

- Notes:-**
- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance.
 - 2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
 - 3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ) on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
 - 4) Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020.

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arena Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.

Digitally Signed by
Sign
Digitally Sign with Aadhaar

e-Signed On 13/06/2020 17:23:59
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
IPAV # G02UOKOSWH

RISHIRAJ SINGH SENGAR
Regional Officer



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 28C, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tel: 9340299512

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.800 KL/day
2. Trade Effluent Treatment:- No trade effluent generation shall be permitted.
3. Sewage Treatment :- Adequate Septic tank - Soak pit and land application.

Sr	Water Code (Qty in hlpd - Kilo Ltr per Day)	WC : (4,000)	WWG : 0.800	Water Source
1	Domestic Purpose	7,000	0.800	Tankers
2	Dust Suppression	12,000	0.400	Tankers

4. Compilation of Monitoring data-

- i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge
- ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
- iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monitoring requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

5. Recording of Monitoring Activities & Results-

- i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
 - (i) The date, exact place and time of sampling
 - (ii) The dates on which analysis were performed
 - (iii) Who performed the analysis?
 - (iv) The analytical techniques or methods used and
 - (v) The result of all required analysis
- iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
- iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

6. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report online to the Board.

7. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:- The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

Consent No:AW-76603



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 28C, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tel : 9340299512

8. Limitation of visible floating solids and foam:
During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam

9. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to catchers body habitat.

10. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

11. Prohibition of By pass systems of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except:

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage; or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

12. Industry/insite/mine management shall submit the information online through XGM in reference to compliance of consent conditions.

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

Name of section	Capacity	Control equipment to be installed	P.M, SOX, NOX(mg/NM3)
Material Handling	material loading/unloading	Water Sprinkler.	SPM - 600 microgram/m ³ at 10m from source
Process	manual mining	Water Sprinkler.	SPM - 600 microgram/m ³ at 10m from source
Transportation	truck cover by tarpaulin	Hood Cover.	SPM - 600 microgram/m ³ at 10m from source
Vehicular Movement	vehicular path	Water Sprinkler.	SPM - 600 microgram/m ³ at 10m from source

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

- a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
- b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
- c. Sulphur Dioxide [SO₂] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
- d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
- e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance

5. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises

6. All the internal roads shall be made proper to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

Consent No:AW-76603



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 2BC, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tel : 934029512

7. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in individual condition.

Additional Air condition:

- (1) Fugitive dust emission from all the sources should be controlled effectively and duly monitored. Water spraying arrangements on haul roads, material loading & unloading points etc should be provided and properly maintained.
- (2) Transportation of material from mine shall be carried out only after providing suitable tarpaulin cover over transportation vehicle to prevent dust emission in the atmosphere during transportation.

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arising in the industry/unit premises (sweeping, etc.) be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for deposit in dumping site. If required.
2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
 - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
3. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.
4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation
8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Consent No:AW-76403



Consent Order


M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 28C, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tel: 9340299512

Additional condition:-


1. Mine shall ensure compliance of all the conditions mentioned in Environmental Clearance order issued by DEIAA, Hoshangabad on 16.05.2016.
2. Mine shall comply the provisions of all the relevant Acts/Rules/Directions/Guidelines issued by MoEF/CPCB/MPPCB time to time as required and if applicable.
3. Mine shall comply the Directions/ Orders issued by Hon'ble Supreme Court/ High Court/ NGT time to time in the relevant Writ Petitions.
4. In stream sand excavation shall not be allowed
5. Mining shall be carried only during non monsoon period.
6. Mine shall ensure that there will not be any impact in natural course of river due to mining of sand.
7. The average depth of the pit shall not exceed 2m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.
8. The mining activity shall be done manually.
9. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks of river for loading of sand. The sand shall be transported by small trolleys up to main transport vehicle.
10. If the stream is dry. The excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
11. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
12. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its natural course.
13. The Board reserves the rights to amend/cancel any of the above condition as a whole or in part as and when deemed necessary.
14. After notice and/or opportunity of hearing this consent can be modified, Amended, revoked or withdrawn in whole or in part by this Board.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1986 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorization. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board


Digitally Sign with Aadhaar

e-Signed On 13/06/2020 17:23:59
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
IPAV # G02UOKDSWH


RISHRAJ SINGH SENGAR
Regional Officer

Consent No:AW-16503



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Azara Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM

CCA-Renewal

CONSENT NO: ---

PCB ID: 97052

Outward No: 100439, 15/06/2020

Consent No: AW-51682

To,

The Occupier,

M/s. The M.P. State Mining Corporation Ltd. (Bedar Sand Mine-16.967 Hect.) HBAD,

Kh.No. 58, Village-Bedar, Tehsil-Bankhed, Dist.-Hoshangabad,

City : Bedar,

Tal : Bankhed, Dist : Hoshangabad, (M.P.)

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

- Ref:
- Your Renewal of Consent Application Receipt No- 1003112 Dt. 11/06/2020
 - M P State Mining Corporation Ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract.

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfilment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: [Lat & long:- (A) 22 56'55.05"N & 78 30'11.12"E (B) 22 56'51.04"N & 78 30'38.02"E (C) 22 57'01.33"N & 78 30'37.00"E (D) 22 57'03.26"N & 78 30'16.38"E . Kh.No. 58, Village-Bedar, Tehsil-Bankhed, Dist.-Hoshangabad (M.P.) ; Kh.No. 58, Village-Bedar, Tehsil-Bankhed, Dist.-Hoshangabad (M.P.)

b. Mining Lease area: 16.967 ha

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	4,40,000 Cubic Meter Per year.

Note- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OIA dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance

2) For any change in above mining lease area, production capacity, PF shall obtain fresh consent from the Board.


3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ) on dated: 26/11/2019 and in OA 160/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.

4) Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC in January 2020


The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGM with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

CC to :-  g Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad, Dist. Hoshangabad, (M.P) Mining Corporation, Azara Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.

e-Signed On 15/06/2020 13:01:37
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAY # B525X F9YKD


ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-3, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 462 010
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at our fall of the unit shall not exceed 0.80 KL/day
2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards:-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD ₅ (Days 20°C)	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement or samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the notification and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in limited quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-

Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to esters body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

Mine management should provide toilets for labors.

Consent No:AW-51682



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Pargavarni Parisar, Bhopal - 46 MP
Tele : 0755-2466191, Fax -0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR [PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION] ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
 - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - c. Sulphur Dioxide (SO₂) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
 - d. Nitrogen Oxides (NO_x) (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
 - e. Carbon Monoxide (CO) (8 hrs. Basis) - $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.
5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:-

- 1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
- 2) Mine management shall not use village road for transportation.
- 3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
- 4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

Consent No:AW-51682



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parkar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent or.
 - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
2. This consent/authorization is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.
3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorize any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
5. Balance consent/ authorization fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorization.
7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional conditions:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpolines and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 3:5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with all the Acts/Rules, directions, guide lines issued by




Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 462 016 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742


MOEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 . The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1986 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board


Digitally signed with Aadhaar

e-Signed On 15/06/2020 13:01:37
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 8525XP9YKD



ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51682



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Parvatnagar, Bhopal - 461 001
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM

CCA-Renewal

CONSENT NO: ***

PCB ID: 96401

Outward No:100438,15/06/2020

Consent No:AW-51681

To,

The Occupier,

M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd.(Divlakhedi Sand Mine- 12,145 Hect.), HBad,

Kh.No.60, Village-Divlakhedi, Tehsil & Distt. Hoshangabad,

City : Divlakhedi,

Tal : Hoshangabad, Dist : Hoshangabad,

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref:
1. Your Renewal of Consent Application Receipt No. 1003111 DL 11/06/2020
2. M.P.State Mining Corporation Ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: Kh.No.60, Village-Divlakhedi, Tehsil & Distt.-Hoshangabad, (M.P.) [Lat -long: 22° 42' 8.49" - 77° 30' 3.02", 22° 42' 8.38" - 77° 30' 12.50", 22° 42' 27.13" - 77° 30' 12.26", 22° 42' 26.65" - 77° 30' 1.81"]

b. Mining Lease area: 12,145 ha

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	1,10,000 Cubic Meter per year.

Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.

2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.

3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ) on dated 24/21/2019 and in OA 1007015 (P)H pertaining to sustainable sand mining.

4) Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist, Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

Signed

Signature

Signed On 15/06/2020 13:00:08

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

TPAV # FF4RGOC872

Achyut Anand Mishra

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arseni Colony
Parvavaran Park, Bhopal - 46 201
Tel : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.80 KL/day
2. Sewage Treatment - The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards:-

pH	Between	6.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BODs Day 21 °C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-

- i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge
- ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-

- i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
 - (i) The date, exact place and time of sampling
 - (ii) The dates on which analysis were performed
 - (iii) Who performed the analysis?
 - (iv) The analytical techniques or methods used and
 - (v) The result of all required analysis
- iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report form.
- iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results -

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report online to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-

Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to owner's body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Conditions:

Mine management should provide tags for labels.

Consent No. AM-51681



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 466 001 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated; 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

- a. Particulate Matter (less than 10 micron) - $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- c. Sulphur Dioxide [SO₂] (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air Conditions:

- 1) Mine management shall provide pucca road for material transportation
- 2) Mine management shall not use village road for transportation.
- 3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
- 4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise

Consent No:AW-51681



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-3, Apsara Colony
Parvavaran Parisar, Bhopal - 46 MP
Tel : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

- The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board under their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent. or.
 - To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
- This consent/authorisation is transferable. In case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Director/proprietor should immediately apply for the same.
- The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
- This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control Act 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per these Act / Rules.
- Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
- The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.
- Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
- After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:
 - Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
 - A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
- On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:

- If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened or modified.
- Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
- The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
- The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
- The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
- Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
- After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- Mine management shall submit the annual replenishment plan.
- The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
- The mine Management shall comply with all the Acts/Rules, directions, guide lines issued by




Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arena Colony
Paryavaran Park, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1986 is granted to your industry subject to fulfilment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XON at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board



e-Signed On 15/06/2020 13:00:08
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV#FF4RGOC872

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51681

मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का एक उपक्रम)

संजीवना कार्यालय-
पर्यावास भवन, कनाक नं. 1
द्वितीय तल (ए)
जेन रोड, अरेरा हिल्स, ग्रीष्मल- 462011
दूरभाष-2763391, 2763392
Email-info.mpsmc@mp.gov.in
CRM NO/1410MP1962SGC000937



सम्भागीय कार्यालय
श्रीराम चौक, आग्धा बिक डे पा
(प्रथम तल) अर्ध.टी.अर्ध. रो
होशंगाबाद (म.प्र.) 46100
फोन. 07574-25702
Website : www.mpsmcl.co
Email-mpsnccho
shangabad123@gmail.co

दिनांक 23.11.2020

पत्र- क्र०हो०बाद/रेत/2020-2021/ 454
प्रति.

✓ श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय
(खनिज शाखा)
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

- विषय - होशंगाबाद जिले में अर्ध रेत उत्खनन की शिकायत के संरक्ष :-
- संदर्भ - 1. मुख्यालय पत्र क्र. रेत/नं०क्र-88/2020/2612 मीपल दिनांक 20.11.2020
2. डॉ० संजीव सचदेव, प्रभारी अधिकारी राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण का पत्र क्रं 4857/सिए/2020 दिनांक 10.11.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वित होशंगाबाद जिले में रेत का अर्ध उत्खनन की शिकायत श्री रोहन लाल झा के द्वारा राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण में ई-मेल के माध्यम से दिनांक 09.11.2020 को की गई है। जिसके तहत राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी का पत्र क्रं 4837 दिनांक 10.11.2020 को प्राप्त हुआ है। छायाप्रति मुलम अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

बिन्दु क्र० 05 में शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख किया है, कि वर्तमान में होशंगाबाद जिले की संचालित 09 रेत खदानों की वैधानिक सम्पत्तियों की अवधि समाप्त हो गई है। जबकि उक्त रेत खदानों के पूरक अनुबंध उपरोक्त उद्देश्य द्वारा पुनः वैधानिक सम्पत्तियाँ दिनांक 31 मार्च 2021 तक के लिए प्राप्त कर निगम में प्रस्तुत कर दी गई थीं।

अतः जिले में अर्ध रेत उत्खनन के निरुद्ध आवश्यक आणवही किए जाने हेतु आपको कृपया

संलग्न - उपरोक्त पत्रिका

MCL
उपरोक्त खदानों को संचालित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला मुख्यालय को सूचित किया जा रहा है।
पत्र- क्र०हो०बाद/रेत/2020-2021/ 454
24/11/2020

श्रीराम

उप महाप्रबंधक (भौतिकी)
संभागीय कार्यालय होशंगाबाद
दिनांक 23.11.2020

1. श्रीमान् कार्यपालक संचालक महोदय मुख्य अर्ध रेत खदानों की अवधि समाप्त होने के लिए उपरोक्त सूचनाएं सम्प्रेषित।

श्रीराम

उप महाप्रबंधक (भौतिकी)
संभागीय कार्यालय होशंगाबाद



दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
फैक्स : 0755- 2763394
e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
Website : www.mpsmc mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
सर्वागत भवन, ब्लॉक नं 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अन्वेल हिल्स, भोपाल-462011

क्रमांक/रेत/नं.क्र.07/2021/2871

दिनांक:- 13/01/2021

प्रति,

कलेक्टर,

जिला होशांगाबाद,

मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के तहत सफल निविदाकर्ता के साथ निष्पादित अनुबंध के संबंध में।

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा कार्यवाही में जिला होशांगाबाद हेतु मेसर्स/ आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0 अधिकृत व्यक्ति श्री अमृभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) का चयन कर जिला समूह होशांगाबाद हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंध पत्र को छात्रापति रतलगत प्रेषित है। खदानों का विवरण संलग्न सूची अनुसार है-

1. संपूर्ण जिला समूह होशांगाबाद की रेत खदानों का अनुबंध पत्रक।
2. जिला होशांगाबाद की 20 रेत खदानों का अनुबंध पत्रक।

(डॉ० वरद मूर्ति मिश्र)
कार्यपालक संचालक

दिनांक :-

पू. क्रमांक/रेत/नं.क्र.07/2021/
प्रतिविधि -

- 1- संचालक, संचालनालय भूमि की तथा खनिकर्म म(प) को सूचनाएँ।
- 2- खनि अधिकारी, जिला होशांगाबाद की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- प्रभारी अधिकारी (समागोच) उप कार्यालय होशांगाबाद की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालक संचालक

ज़िला होशंगाबाद समूह की 20 रेत खदानों की सूची :-

क्र	ज़िला	तहसील	खदान	घमरा क्र	रकबा (हे।)
1.	होशंगाबाद	पिंपरिया	सुरेभाकला	1	8.377
2.	होशंगाबाद	पिंपरिया	सिचोडी	206	6.000
3.	होशंगाबाद	बावई	सांगखेडा खुर्द	1	10.000
4.	होशंगाबाद	होशंगापुर	रेजामोहारी	114	10.000
5.	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	रासगढ़- 2	11	11.000
6.	होशंगाबाद	बावई	राजौन- 2	181	17.500
7.	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	रासगढ़- 1	11	11.000
8.	होशंगाबाद	बावई	राजौन 1	181	17.500
9.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	राधपुर -4	126 (New 207)	10.555
10.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	महाराघाट-10	365	11.655
11.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	निमासाडिया-2	1163	20.245
12.	होशंगाबाद	इटारसी	मगोज़-1	1	22.500
13.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	जासलपुर-2	691	10.000
14.	होशंगाबाद	पिंपरिया	जमारा	113	10.938
15.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	हरियापीपट	221	19.746
16.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	टंडलाखेडी	60	12.115
17.	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	गुजघाट	11	9.000
18.	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	ईर्दा-2	291, 959	6.433
19.	होशंगाबाद	पिंपरिया	डाडिया किशोर-2	115	8.527
20.	होशंगाबाद	बनखेडी	वीटर	38	10.926

प्ररूप-पॉय

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, MOPD राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भीपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति से इनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0म0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पाटक, पश्चात्क, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशितों शामिल है) के बीच आज दिनांक 13..... माह 01..... सन् 2021 को दिनांक 13.1.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपर 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड पचास लाख रूपये) अधिक धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (लगू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (लगू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निर्बंधनों और शर्तों के सन्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार अंग किये जाने की स्थिति सम्पहत किये जाने योग्य होगी; और

यतः राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र सलग्न है जिस खदान सुरेलाकनां, खसरा क्रमांक 1 का क्षेत्रफल 8.377 तहसील विपरिया जिला होशंगाबाद MOPD है। और जिसका विवरण सलग्न अनुसूची 'क' में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के पर्योजनां के लिए पदस्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कालक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अतस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अंग क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार एतद्वारा निविदाकार को पड़ान्तरित भूमि का तारीख (31/02) से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पड़ान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएँ खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेल खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताएँ 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मध्य ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

K.K. Transport & Construction Limited



Authorized Signatory

डॉ. करवन्सुति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट मॉडर्निज कार्पोरेशन लि

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा।

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवाय होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पूत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकाली करना चाहता है, तब उसे परस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विन्दु समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना से तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में घुकाई गई किरत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाता होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकाली रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संघनित खाल में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चत सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

K.K. Transport & Construction Limited

[Signature]

Authorized Signature

डी. वरबनूजी मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए. प्र. स्टेट मार्बलिंग कार्पो. लि.

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शीघ्र ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असदस्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इन ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिह्न तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकार/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सबक, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य मुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पश्चात खदान के ऊपर संघार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मांगे का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेल तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदीनाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विजय किए गए या निकाल दिए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टता दर्शाने हुए उनका सही लेखा और खदान में निरोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखाओं का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्रकरण में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म090 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

E.K. Transport & Contracting Limited
Amul

Authorised Signatory

श्री. वरदमूर्ति मिश्र
जनसंपर्क संचालक
राज्य स्तर सर्वोच्च कार्य दि.

माह	निकाले गये खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।
21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेल खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोड कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकार या नुकसान का दावा नहीं करेगा।
22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवेक्षित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छद्म प्रसंग की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त परस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियताएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।
23. ठेकेदार, जिसके लिए उक्त ठेका दिया गया है, उससे भिन्न परियोजना के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।
24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकार के लिए कोई दावा नहीं करेगा।
(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अंतिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकाहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवेक्षित किए जाने या लोकाहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिश्चित कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या लॉकरों में से किसी को निविदित करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारवार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करना या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कबल अलविष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिश्चित कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस पर्यवेक्षण के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समग्रहण करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Construction Limited

(Signature)

Authorised Sign 2019

डॉ. सरदमूर्ति मिश्र
अध्यक्ष/संचालक
ए. ए. स्टेट मार्केटिंग कॉर्पो. लि.

28. ठेकेदार, खदान में खनिज या उसके उत्पाद से जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।
29. इं-लिविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टकामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतिम और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अंतिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कॉलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	समूह क्र०/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	खचा (हे.)
1	2	3	4	5	6	6
76	होशंगाबाद	पिपरिया	होशंगाबाद	सुल्ककला	1	8.377

- इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____


2. _____
एच. सी. नेमा

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____

2. _____


डॉ. वरदगुर्ति मिश्र
(कार्यपालक निदेशक)
राज्य पेट्रोलियम एवं नैसर्गिक गैस निगम
महोदय, हस्ताक्षर
जिला _____
(मुहर)


13/01/2021
ठेकेदार का नाम पता तथा हस्ताक्षर
नेसस आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिघन, एचओईजी-07, सेक्टर 02,
शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(छ0ग0)

- 28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गलबय के लिए जाने देगा।
- 29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
- 30 अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टकामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निर्बंधनों और शर्तों को पूर्ण करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूप में 85,50,00,000/- मात्र (अठ्ठासठ लाख) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) B-C	जिला	तहसील	समूह क्र०/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हं.)
1	2	3	4	5	6	6
76	रोहतास	पिपरिया	रोहतास	सुरेन्द्रपुरा	1	8.377

- इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ----- दिनांक ----- द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

एस. सी. नेमा

अधीक्षक (सुरक्षा)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

डॉ. वरदगुर्ति मिश्र
(कार्यपालक निदेशक/निगम)
मध्य प्रदेश राज्जी खनिज निगम
मयादित, हस्ताक्षर
जिला _____
(मुहर)

13/01/2021
ठेकेदार का नाम पता तथा हस्ताक्षर
मेंतसे आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02,
शकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(3080)

प्रल्प-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक MOPCO राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिस इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिनी शामिल है) के बीच आज दिनांक 13... माह 01... सन् 2021 को दिनांक 13.1.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यह ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सव्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति सम्पहत किये जाने योग्य होगी, और

यह, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान सिंघौही, खसरा क्रमांक 206 का क्षेत्रफल 6,000 तहसील पिपडियों, जिला होशंगाबाद म0प्र0 है। और जितका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कन्वक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अब क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

श्री. परदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा निविदाकार को पड़ान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पड़ान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएँ खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पचास करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस परियोजना हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विजयि प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विजयि प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि नव ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जामि-किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के आवक में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सख्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पूत की जा सकेगी।


परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथाशक्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिसाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिसाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियाँ का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियाँ ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में पथ्यत जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कालक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अक्रिय कर सकेगा और ले जा सकेगा।


R. K. Transport & Constructions Limited


श्री प्र. स. डी. मिश्रा
कार्यपालक संचालक
ए प्र स्टेट मशीनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार लिखित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अलविष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में त्रिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं त्रिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार लिखित तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से व्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस पर्योजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन दिये हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई जल सम्पत्ति को अतिक्रमण कर सकेगा और ले जा सकेगा।


R.K. Transport & Constructions Limited
डॉ. वरदमूलि मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए 3 गेट 4 इन्दिरा नगर, लि

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शीघ्र ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असदत रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन पदतल अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन पदतल भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आवद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पड़ाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर भाग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के नीचे प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या विकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांक का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या भाग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म090 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली भिन्नी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच माने, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकार या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की उह तारु की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियण संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।


23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न परियोजना के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकार के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।


 डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
 कार्यपालक संचालक
 ए. ए. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

Page 5 of 7


 R.K. Transport & Constructions Limited

Authorized Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके सर्वा में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवेक्षित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।
- (2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है जहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित काम से काम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।
- (3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।
- (4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है जहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस एग्रीजमेंट के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।
- (5) यदि ठेके की कालावधि को समाप्त पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की सनस्त शर्तों का पालन करेगा।
27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/निचम की ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समग्रहण करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक सतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टाभिमित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्दिष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपर 65,50,00,000/- मात्र (अंशिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कांसेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	संग्रह क्र०/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
81	होशंगाबाद	पिपरिया	होशंगाबाद	सिघांडी	206	6.000

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1

आशुतोष टेंगले
भाइयकाज (जान)

2



एस. सी. नैमा


अनुबंध (सहचालक)


साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

डॉ. परममूर्ति मिश्र
(कार्यपालक निदेशक)
महाराष्ट्र प्रदेश खनिज एवं पत्थर निगम
म्यांदिन, हस्ताक्षर
जिला _____
(मुहर)

1

2


Ashu Tope


13/01/2021

ठेकेदार का नाम पत्नी तथा हस्ताक्षर
सेसंस आर0क0 रासपोट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
नि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिघल, एच.आइ.जी.07, सेक्टर 02,
शकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(छ0ग0)


रत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक, MOPCO राज्य खनिज निगम प्रयोदित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए सचयपट्टे के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति ने उनके पद उत्तरवती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मैसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिधल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति ने, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुजाल समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13... माह 01... सन 2021 को दिनांक B/1/2 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड नित्यानवे लाख नित्यानवे हजार नौ सौ नित्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (सैठ करोड पचास लाख रूपये) अविम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (नगू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (नगू नहीं) ठेका अवधि की से देय संपूर्ण राशि के समनुन्य है, और जो ठेके के निबंधों और शर्तों के सम्बन्ध पाठन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति सम्पन्न किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उरो उरा रत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान सागाखड़ाखुद, खसरा क्रमांक 1 का क्षेत्रफल 10,000 तहसील बाबई जिला हीशगाबाद, म0प0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध सही है कि ठेका राशि सैयन्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रयोजित उचित बाजार मूल्य पर अथ कवाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों का खदान में बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।


M K Transport & Construction Limited
श्री. अनुभव सिधल
परूपपालक संचालक
R 2 स्टेट खनिज कार्पोरेशन लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार नई, एतद्वारा निविदाकार को पड़ान्तरित भूमि का तारीख 31.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभार रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पड़ान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5 (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपर 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किरतों में भुगतान करेगा -

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपर में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम वैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय वैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय वैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ वैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।


परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज सहित दिये किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यवसाय आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञापित प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त दिये गये 24 प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञापित प्रकाशन पर स्वयंसेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि रकम व्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।


R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory


श्री. रविप्रकाश मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट मार्बलिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में इत्युक्तित मन्त्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की विधि में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकाधन में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पत्त की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकाली करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथावश्यक पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समावृजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकाधन हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैर (1) में अलविष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में त्रिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं त्रिमाही में चुकाई गई विलुप्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकाली रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संप्रतिलिखित खाने में पधनत जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

श्री. सुरेश्वर मिश्र
K.K. Transport & Contractors Limited
कार्यालय के संचालक
म.प्र. स्टेट क्वार्टरिंग कार्पो. लि

auth. ... 5-9-2017

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की शर्तों या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असदत रहती है तो कन्वक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को पेशित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अग्रथारी अड्डे आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई अड्डे आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिभार ढावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिह्न तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा टुकड़त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप भूई पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन पदत अधिकारी/विशेषाधिकारी को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन पदत भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समझत नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से वाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पड़कृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिभार ढावा करने का अधिकार नहीं होगा।


17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विनिष्ठियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की सख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कन्वक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांक का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व 3090 राज्य खनिज निगम नयाँदिल को प्रस्तुत करेगा।

Page 4 of 7

R.K. Transport & Constructions Limited


Authorised Signatory


डॉ. विवेकमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में तिकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विहाय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में नशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिफल या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा सम्पन्न स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वापिस ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियण संरक्षित की जा सकेगी। यदि एक बार सम्पन्न के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। सम्पन्न सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिफल के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकाहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अंतिम सूचना दी जाएगी।

B. L. Transport & Services Limited

Authorised Signatory

श्री. हरदत्त सिंह
कार्यपालक निबंधक
ए. ए. स्टेट मॉनिंग कार्पो. लि.

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बाधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रह की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवेक्षण किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो इनक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या सीकरो में से किसी को निविदित करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारवाज के स्थान के किसी सहजदर्श्य स्थान पर एक प्रति चरपा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कब्ज अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा शर्तों या उसके भाग सम्पन्न करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Services Limited

Authorized Signatory

डॉ. विवेकानंद मिश्र
कार्यपालक निदेशक
रा. प्र. मेट्रो कॉरपोरेशन, रायपुर

28 ठेकेदार, खदान से खनिज का उसके उत्पाद ले जान वाले पर्यटक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही पर्यटक मतलब के लिए जाने देगा।

29 इ-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह परामर्शित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अलविष्ट और उल्लिखित सम्पत्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (अठ्ठास धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है बालेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	सबू क्र०/ नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
57	होशंगाबाद	बाबई	होशंगाबाद	सागाखेडाखुटे	1	10.000

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर


1. _____
अनुसूची-क के तहत
प्रत्येक साक्षी

2. _____
ए. ए. ए. ए. ए.
प्रत्येक साक्षी


साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____
अनुसूची-क के तहत
प्रत्येक साक्षी


2. _____
अनुसूची-क के तहत
प्रत्येक साक्षी



श्री. परमवृत्ति मिश्र
(कार्यपालक निरीक्षक)
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला _____
(मुहर)



ठेकेदार का पता तथा ठेकेदार
मेसर्स अवरके0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02,
शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(0000)



प्ररूप-पॉय

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध सचालक म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्योदित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (उ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि सदरमें ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, लिप्पाटक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशितों शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13.1.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूप 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिये सहमत हो गया है जो खान एक्ट द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूप 65,50,00,000 /- (षेसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अचिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूप (लगू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूप (लगू नहीं) ठेका अवधि की में दिये सपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिये जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहत किये जाने योग्य होगी, और

यतः राज्य शासन/ निगम ने उसे इस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जित खदान रेवमोहारी, खसरा क्रमांक 114 का क्षेत्रफल 10.000 तहसील मोहरापुर जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, परसविदाओं और करार के प्रतिपालन में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खदान के प्रयोजनों के लिये प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कालक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।


Authorised Signatory


श्री. अनुभव सिंह
अधिकृत व्यक्ति
आर.के. ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख (3.1.21) से तारीख 30.06.2023 तक अधिभाग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के कन्द्र तक रहेगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपर 65,50,00,000/- (सैसठ करोड पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा -

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपर में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेंट खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस पर्योजना हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्या न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यापक आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञापित प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञापित प्रकाशन पर स्वयंसेव ठेका पूर्ण रूप में निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मध्य ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Construction Limited

(Signature)

श्री. चरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके को राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असदस्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर भूमि की सीमाओं को दर्शाते करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पर्याप्त क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व MOPRO राज्य खनिज निगम भर्षादित को प्रस्तुत करेगा।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सन्मति में (इतने से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वशील होगा।

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी। किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अन्तर् की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पूहृत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकाली करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।


(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अलविष्ट किसी बात के होने हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई निम्न राशि के अन्तर् की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकाली रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध राशि/राशियाँ का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।


6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियाँ ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में पथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन दिये हैं, शोध्य शोध्यों में दी गयी है। अधिक अवधि तक भुगतान न किया गया है। इस में जल्दबाजी का उसके व्यापक अधिकृत कोई अधिकारी परिहार में प्रस्ताव करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई घल सम्पत्ति को अविश्रुत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R. K. Professor & Consultants Limited



Advocate, Indore


श्री. वैरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पो. लि.

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके अन्तर्गत और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवेक्षित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिश्चित कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदल्ल करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदर्श्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित काम से काम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उप-खण्ड(2) के अधीन सूचना में यह वाक्य अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिश्चित कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहत करने का अधिकार होगा।

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।
21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।
22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की एह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध कयाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियता संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात् समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।
23. ठेकेदार, जिसके लिए उसका ठेका दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।
24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, सयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।
(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा; परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अंतिम सूचना दी जाएगी।

28. ठेकेदार खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गांव के लिए जाने देगा।
29. इं-जिविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टकमित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्बिष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,09,000/- मात्र (अठ्ठस धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची 'क'
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	खान	गांव	खसरा क्रमांक	रकबा (हे)
1	2	3	4	5	6	6
100	झोशनाबाद	सोहागपुर	झोशनाबाद	रेवामाहारी	1414	10000

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।


साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर
1. _____

2. _____
एस. सी. नेमा
निबंधक (साक्षात्)
साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____

2. _____
साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर


श्री. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक निबंधक
स. प्र. ए. डी. मंडलाना कोठाला लि.
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मयादित. हस्ताक्षर
जिला. _____
(मुहर)


13/01/2021
ठेकेदार का नमूने पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02,
शकर नगर, सयपुर, जिला रायपुर
(उ0ग0)

परूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक MOPD राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मंसूरम आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघान, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (उ0म0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिम् अभिव्यक्ति में, जहाँ कि सद्म ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक पशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशितो शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. रत, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूप 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूप 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूप (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूप (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति सम्पहत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उभ इस रत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र सलग्न है जिस खदान रामगढ़-2, खसरा क्रमांक 1/1 का क्षेत्रफल 11.000 तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद म0प0 है। और जिसका विवरण सलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयन्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, पसविदाओं और करार के प्रतिपाल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के पर्योजना के लिए पटल क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अग्र्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विनय करने की स्वतंत्रता होगी।

R. K. Tripathi & Associates

आपका प्रतिनिधि

Page 4 of 7

श्री अनुभव सिंघान

अधिकृत व्यक्ति

आपका प्रतिनिधि

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में एतद्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति पट्टान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएँ खड़ी तीरों की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपर 65,50,00,000/- (षसठ करोड पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किरतों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किशत क्रमांक	किशत की राशि (रुपर में)	किशत जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किशत	65,50,00,000/-	प्रथम त्रमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किशत	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किशत	65,50,00,000/-	तृतीय त्रमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किशत	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस पर्योजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किरतों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किरत की राशि जमा करने में असफल रहने पर कर्षा न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किरत जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किरत/किशतों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयलाय 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। जमीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वयं ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किरत की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

S.I. Transport & Constructions Limited

Amber

Authorised Signatory

श्री/श्रीमती मिश्र

कार्यवाही संचालक

ए. 2 स्टेट हाइवे जर्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के अन्तर्ग में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा में अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अन्तर की राशि जमा की जाती होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकाधन में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पूत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकाली करता चाहता है, तब उसे परस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/सशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विन्दु समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकाधन हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में त्रिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं त्रिमाही में चुकाई गई क्विंट राशि के अन्तर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकाली रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से छठे मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथाया उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई वल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शीघ्र ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असद्वत रहती है तो कालक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अन्यायी भवन आदि खड़ा करने का हक्कदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिह्न तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि को समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह सड़क क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विजय किए गए या विकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कालक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखाओं का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

R.I. Transport & Construction Dept.

[Signature]

डी. वसुदेव मूर्ति मिश्र
आयोजनालय से वारंटा
दि १५/०८/२०१६

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26 कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो हाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदित करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चर्पण करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त अनुबंध की सम्स्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ जिग्म को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग सम्पन्न करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Construction Limited, वरदमणि, नि.शु.
कलेक्टर, जिला, ...
Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान निर्यातित खनिजों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रत खदानों के फ्लूच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।


22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्याप्त करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध कवाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा सम्प्रेषण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियता संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार सम्प्रेषण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। सम्प्रेषण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन में लिए उस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, सयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकाहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

R.K. Transport & Construction Limited


Authorized Signatory

डी.एस.नूतन सिंह
कार्यपालक निरीक्षक
स.प्र.स्टेट ग्रोइंग कार्पो. लि.

Page 3 of 7

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गतव्य के लिए जाने देगा।

29. इ-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टाकालित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अलविष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (अष्टविंशति अरब) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टराणिगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	समूह क्र० / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	6
103	झांझनाबाद	सिवनीमालवा	झांझनाबाद	राजगड-2	11	11 000

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____
2. _____
एस. सी. नेमा
प्रबंधक, (उपस्थित)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____
2. _____
M. S. Jaiswal

श्री. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यवाही अधिकारी
राज्यपालक सचिव
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मण्डित, हस्ताक्षर
जिला _____
(नगर)

13/01/2021

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
मिचल, एच.आइ.जी-07, सेक्टर 02,
शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(छ०ग०)

प्ररूप-पॉच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो पर्वध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मैसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (उ0म0) (जिसें इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिनी शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13.1.2 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवप का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपर 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड पचास लाख रूपये) अविम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के नियधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान राजॉन-2, खसरा क्रमांक 181/1 का क्षेत्रफल 17.500 तहसील बाबई जिला होशंगाबाद म0प्र0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध सादी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभाग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कन्क्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण में अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अब क्रयधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. पद्मसुति मिश्र
कार्यसंचालक संचालक
ए. प्र. स्टेट हाइविंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख [3.1.2] से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केंद्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्त में भुगतान करेगा -

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेंट खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हुए वित्त अर्थात् 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान को संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा दृश्यगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञापित प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञापित प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय व्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. परममूर्ति मिश्र
कार्यपालक संस्थापक
म.प्र. स्टेट मोर्टिसिज कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सन्तति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी। किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पत्त की जा सकेगी।


परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने हुए वार्षिक कार्य योजना में तिसाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिसाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य राशियों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई पत्त सम्पत्ति को अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport &  Constructions Limited

Authorized Signatory


डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
अधीनस्थ संचालक
ए. ए. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की शर्तों या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंतुलित रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदर्शित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पहाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अक्षिप्राप्त और विपणन किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखाओं का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व 30/90 राज्य खनिज निगम मण्डल को प्रस्तुत करेगा।

Page 4 of 7

R.K. Transport & Constructions Limited

डा. परमार्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।


21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की एह नाम की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा सम्पेण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियण संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार सम्पेण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। सम्पेण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है उससे भिन्न पथोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अंतिम सूचना दी जाएगी।


A.K. Transport & Construction Limited


श्री. परदेसूति मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए. ए. स्टेट काईनिंग कार्पो. लि.

25. यदि इस ठेके के सबंध में और/या उसके सबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रह की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रह किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन में, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कांड अधिकारी, सूचना की तामौली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदित करने हुए या डेटे हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चरमा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामौली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस पर्योजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपूत करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Operations Limited

श्री. बरवभूति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पो. लि.

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक संतव्य के लिए जाने देगा।
29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पड़क्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अलविष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूरी करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (असिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)


(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	समूह क्र०/ नाम	खाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
52	होशंगाबाद	बाबई	होशंगाबाद	राजौन-2	181/1	17.500


- इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक दिनांक द्वारा चुकाया जा चुका है।

- साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर
1. 
 एस. सी. नेमा
 प्रबंधक (सांगण्य)
 2. 
 एस. सी. नेमा
 प्रबंधक (सांगण्य)



(सांगण्य परियोजना निरीक्षक)
 नाथकांयपदेश, राजस्थान खनिज निगम
 स. प्र. बस्टेड नाइलिंग कार्यालय
 मंत्रालय, हस्ताक्षर
 जिला.....
 (मुहर)

- साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर
1. 
 एस. सी. नेमा
 प्रबंधक (सांगण्य)
 2. 
 एस. सी. नेमा
 प्रबंधक (सांगण्य)


 13/01/2024

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
 मेसर्स आर०के० ट्रीसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
 लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
 सिधल, एचआइजी-07, सेक्टर 02,
 शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
 (उ०ग०)

प्रल्प-पॉय
(नियम 13(2) देखिए)


रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक, म०प० राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०) (जिसमें इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि सदृश ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशितों शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13... माह 01... सन् 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के ठेके किया गया;

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूप में 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूप में 65,50,00,000 /- (षेसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अधिक धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूप में (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूप में (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय सम्पूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति सम्पन्न किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान रामगढ़-1, खसरा क्रमांक 1/1 का क्षेत्रफल 11.000 तहसील सिवनीमोहवा, जिला होशंगाबाद, म०प० है। उक्त खदान विवरण संलग्न अनुसूची 'क' में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के परिणाम में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अथ क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।


K.K. Transport & Constructors Limited


श्री. रमेशचंद्र मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार का पट्टान्तरित भूमि का तारीख (31.12.23) से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की आर भूमि के क्षेत्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेल खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस पर्योजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्ट की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विन्व अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विजयि पत्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विजयि पत्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथासंभव पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं वह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अनविष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में त्रिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं त्रिमाही में चुकाई गई निरस्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में वसूल जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन दिये हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चाल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

श्री. परदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट मईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदलत रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किमी आग को समनुदर्शित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखाकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए परूप में गतिविधि: तिवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

Page 4 of 7

K. S. Transport & Engineering Limited

डॉ. चंद्रशक्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
प 9 स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि

Authorized Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहाँ कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहाँ ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहाँ कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहाँ ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अतिविष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहाँ ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहाँ कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग सम्पत्त कराने का अधिकार होगा।

श्री परमेश्वरी मिश्र
कार्यपालक संचालक
R.K. Transport & Construction Limited
प.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की उह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, सयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा; परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अंतिम सूचना दी जाएगी।



डॉ. पार्वती मिश्र
कार्यवाहक संचालक

सू. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Excavations Limited

28. ठेकेदार, खदान में खनिज या उनके उत्पाद से जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।
29. इं-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टाकामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (असिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।


अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

पैरा 1 देखिए क्रम	जिला	तहसील	समूह क्रं०/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
102	होशंगाबाद	सिवनीनालवा	होशंगाबाद	रामगड-1	1/1	11.000


* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक दिनांक द्वारा चुकाया जा चुका है।

1. साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर


 आयुताप (वर्ष)
 पता/स्थान (वर्ष)

2. साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

एस. सी. नेमा
प्रतिष्ठ (सानावा)

1.  **श. सु. शंकर सिंह**

2.  **श. सु. शंकर सिंह**


 (कार्यपालक सचालक)
 कार्यपालक सचालक
 मध्य प्रदेश हाइड्रोकार्बोनिज निगम
 मर्यादित, हस्ताक्षर
 जिला.....
 (मुहर)


 ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
 मेसर्स आर.के. ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शंस लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिधल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (CGO)
 (CGO)

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रुपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस परियोजना हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका गिरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलम्ब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यवगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विजयिता प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विजयिता प्रकाशन पर स्वयंसेवक ठेका पूर्ण रूप से गिरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी काम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जावेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने का दायित्वहीन होगा।

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पूत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बंदी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चूकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से व्याज सहित शोध्य राशि/राशियाँ का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियाँ ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन टैय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास में अधिक के लिए असदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकार दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अतिक्रम नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य गुणाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पड़ोसी क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकार दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टता दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारों को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकन का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारों द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म090 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

R.K. Transport & Construction Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म ९ स्टेट मॉडर्निंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकाहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान सजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवेक्षण किए जाने या लोकाहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों से से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चरपा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस पर्योजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

माह	निकाले गये खनिज का पारिभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में जिक्रात किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।


21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकार या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की उक्त मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिर्वाये रूप में जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियता संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा पारभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसका ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपदाकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकार के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।



डॉ. परदमूर्ति मिश्र

कार्यपालक उपचालक

ए. ए. स्टेट क्वैरिंग कॉर्पो. लि.


R.K. Transport & Constructions Limited


28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।
29. इं-जिविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पहुंचासित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (अचिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	समूह क्र०/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
51	होशंगाबाद	बावई	होशंगाबाद	राजौन-1	181/1	17.500


- इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक दिनांक द्वारा युकाया जा चुका है।


साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर
1. 
आशुतोष कुमार
राजस्थान (अन्य)

2. 
एस. सी. नेमा
प्रबंधक (आमान्य)
साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर


डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
(कार्यपालक, मुख्य निगम)
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
सर्वाधिकृत, हस्ताक्षर
जिला
(मुहर)

1. 
क. स. प्रसाद सिंह

2. 
K. S. Prasad


12/01/2021
ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिधल, एचआइजी-07, सेक्टर 02,
शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(उ०ग०)

प्ररूप-पाँच
(नियम 13(2) देखिए)
रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध


यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य खनिज निगम संचालित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि सदमें ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिनी शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत् ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपर 65,50,00,000 /- (षसठ करोड पचास लाख रूपये) अविन धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहत किये जाने योग्य होगी; और

यत्, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान रायपुर-4, खसरा क्रमांक 126 (New 207) का क्षेत्रफल 10.555 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद म०प्र० है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए पदतल क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited



Authorised Signatory


श्री. प्ररदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पो. लि.

Page 1 of 7

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा सट्टण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति पट्टान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएँ खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (षसठ करोड पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इं-टोपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।


परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यापगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विजयिता प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विजयिता प्रकाशन पर स्वयंसेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि नया ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इं-टोपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited



Authorised Signatory


श्री. वसुदेव मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए. ए. स्टेट प्राइविंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा।

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्ष राशि सम्पूत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथासंभव पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किस्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियाँ का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियाँ ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु खचाहित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक अग्रतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई जल सम्पत्ति को अभियहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited
श्री. चण्डीप्रसन्न मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट मार्बलिंग कार्पो. लि.
Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार स्वयं के व्यय पर, भूमि की संरक्षण को दर्शित करने के लिए सीमा चिह्न तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय सम्स्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से साध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आवद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।


16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पड़ाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जन स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।


18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की सख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व 2090 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

R.C. Transport & Constructions Limited



Authorized Signatory



डॉ. वरदमूर्ति मिश्र

कार्यपालक संचालक

म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकार या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की उक्त मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियता संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको ढी गड़े भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दृश्य में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, सयंत्र, भवन तथा मानवी का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकार के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Signature
Authorised Signatory

डॉ. वसुदेव मूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
एच. एच. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति धरुपा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।


(3) उप-खण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अतिविष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त अनुबंध की सम्स्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहन करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Constructions Limited



Authorized Signatory

श्री वरदमूर्ति मिश्र
कारखानेक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गांव्य के लिए जाने देगा।
29. इं.निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पड़काभित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (असिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	समूह क्र०/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे)
1	2	3		4	5	6
11	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	रायपुर-4	126(New 207)	10 555

- इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक दिनांक द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.

2.

एस. सी. नेमा
साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर



डॉ. ज्योति मिश्रा
(कार्यपालक निदेशक)
म.प्र. स्टेट मिनिय कार्पोरेशन
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला.....
(जुहुर)

1.

2.
Narsingh Singh

Signature
14/01/2021

ठेकेदार का नाम पूरा तथा हस्ताक्षर
मेंसर्स आर०के० टांकापोट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02,
शकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
- (छ०ग०)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य खनिज नियम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (ड०ग०) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ कि सदम ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिनी शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिबंध का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एनट्र द्वाारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अधिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लानू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लानू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति सम्पहत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र सलग्न है जिस खदान मेहराघाट-10, खसरा क्रमांक 365 का क्षेत्रफल 11.655 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद म०प्र० है। और जिसका विवरण सलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में पवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कन्क्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान में भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के पचतित उचित बाजार मूल्य पर भंग कयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

Page 1 of 7

R.M. Transport & Construction Limited

श्री. वरदमूर्ति मिश्र

कार्यपालक संचालक

ए. ए. स्टेटे माइनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसारण में, एतद्वारा, निविदाकार को पहान्तरित भूमि का तारीख 19.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पहान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (षसठ करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा -

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेंट खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करते में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञापित प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञापित प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मग ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के ध्यान में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा।

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप में पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकाधन में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पत्त की जा सकेगी।


परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथावश्यक पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकाधन हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किस्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से व्याज सहित शोध्य राशि/वारीयों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/वा उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चाल सम्पत्ति को अक्षिणहीन कर सकेगा और ले जा सकेगा।




R.K. Transport & Construction Limited


डॉ. वरदभूति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

Page 3 of 7

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शीघ्र ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असदतल रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन परियोजना के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।
11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को सम्बन्धित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।
12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।
13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।
14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।
15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।
16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पहाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के ओर प्रतिक्रम होगा।
18. ठेकेदार, खदान में अभिप्राप्त और विन्य किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारों को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सदाय अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या माग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।
19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक वितरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व 3090 राज्य खनिज निगम न्योदित को प्रस्तुत करेगा।


2.K. Transport & Constructions Limited


डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
 कार्यपालक संचालक
 9. प्र स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20 ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।


21 ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22 यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मिनट की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24 (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अंतिम सूचना दी जाएगी।



R.K. Transport & Construction Limited

Authorized Signatory


 डॉ. बरदमूर्ति मिश्र
 कार्यपालक संचालक
 ए. ए. स्टेट मॉडर्निज कार्पो. लि.

Page 5 of 7

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लौकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान सजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लौकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन में, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।
- (2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप में या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदित करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी महजहृष्य स्थान पर एक प्रति चम्पा करके या उसी उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।
- (3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अतिविष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।
- (4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।
- (5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।
27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग सम्पन्न करने का अधिकार होगा।

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)


रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो स्वयं संचालक, म०प्र० राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन् लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (उ०प्र०) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पाटक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात सम्बन्धितों शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एन्ड व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपर 65,50,00,000 /- (सैसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति सम्पहन किये जाने योग्य होगी, और

यत, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान निम्नसोडिया-2, छबरा कमाक 1163 का क्षेत्रफल 20.243 तहसील होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद, म०प्र० है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए पटल क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।


R.K. Transport & Constructions Limited
ऑ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
ग. प्र. स्टेट मार्किंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पड़ान्तरित भूमि का तारीख 31.12 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति पदान की जाती है कि एण्ट द्वारा पड़ान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।
- 5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपण 65,50,00,000/- (पैसठ करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपण में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस पर्योजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय व्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के खर्च में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु अनुमति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पत्त की जा सकेगी।


परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथासंगत पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्लिखित किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध राशि/राशियाँ का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियाँ ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस परियोजना हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान से ठेकेदार द्वारा रखाई गई चल सम्पत्ति को अभियन्ता कर सकेगा और ले जा सकेगा।


R.K. Transport & Constructions Limited


श्री. वरदान मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट स्ट्रॉन्ग कार्पो. लि.

Page 3 of 7

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदूत रहती है तो कलक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे जम्हायी भवन आदि गड़ग करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निम्नित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का नि्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।


16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिबिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और निकाले गए या निकाले किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांक का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म090 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

Page 4 of 7


R.K. Transport & Constructions Limited
श्री. वरदमुर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट राईनिंग कार्पो. लि.

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	नई में विकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिफल या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की उद्दिष्टता की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियण संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है उसमें भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिफल के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

Authorised Signatory

डॉ. विनयमूर्ति मिश्र
कार्यालयक संचालक
म.प्र. उदर राईनिंग कार्पो. लि.

Page 3 of 4

M.P. Transport & Constructions Limited

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान में कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान संजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्याप्त किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत बाई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदर्श्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचित काम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अतिविष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस पर्योजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपूत करने का अधिकार होगा।

Authorised Signatory

[Signature]

M.K. Transport & Constructors Limited

डॉ. प्ररदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

Page 6 of 7

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. इन्निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एलटू द्वारा यह पड़कामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (अभिन्न धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	समूह क्र०/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
27	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	निमताडिया-2	1163	20.243

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.

2.

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. - व-डू इकाया लेट

2. Nergji...

डॉ. वरदप्रति मिश्र

(कायपत्र)
 सचिव, पेट्रोल रिजर्व खनिज निगम
 संयोजित, हस्ताक्षर
 जिला _____
 (मुहर)

12/01/2021

ठेकेदार का न्यून, पता तथा हस्ताक्षर
 मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
 लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
 सिघल, एचआईजी-07, मेजर 02
 शकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
 (उ०क०)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (उ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके बारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13. माह 01, सन् 2021, को दिनांक 13.1.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिबंध का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000/- (षष्ठ करोड़ पचास लाख रूपये) अधिक धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में दिये संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सन्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति सम्पहत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र सलग्न है जिस खदान मरोडा-1, खसरा क्रमांक 1 का क्षेत्रफल 22.500 तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद, म0प्र0 है। और जिसका विवरण सलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के पचलित उचित बाजार मूल्य पर अब क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

A. K. Transport & Construction Limited

डॉ. पी. ए. मूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म प्र स्टेट माइनिंग कार्पो. लि

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपर 65,50,00,000/- (सैंसठ करोड पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किरतों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किरत क्रमांक	किरत की राशि (रुपर में)	किरत जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किरत	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किरत	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किरत	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किरत	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किरतों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किरत की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किरत जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किरत/किरतों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विजयि प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विजयि प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किरत की राशि म्य ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हों) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जाती होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पूत की जा सकेगी

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकाली करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अलविष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किरात राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकाली रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शीघ्र राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शीघ्र तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभियोजित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

डॉ. परवसूति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट मॉडर्निज कार्पो लि

R.K. Transport & Constructions Limited

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की जाति या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असद्वत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निमित्त ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीगा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारी/विशेषाधिकारी को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि यह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारियों को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक वितरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व MPPD राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकाल किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेल खदानों के पहुंच माने, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवरित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. वरदभूति मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए. ए. स्टेट ग्रोइंग कॉर्पो. लि.

Page 5 of 7

R.K. Transport & Construction Limited

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को लिखित करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग सन्तुष्ट करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. विवेकानंद मिश्र
कार्यवाहक संचालक
म. प्र. स्टेट हाईवेिंग कार्पो. लि.

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।
29. इं-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इन ठेक के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पड़काभित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपर 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है फलेक्टर/जिगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पंरा 1 दृष्टिसे)

(पंरा 1 देखिये) क्र०	जिला	तहसील	समूह क्र०/नाम	धाम	खसारा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
63	श्रीभगाबाद	इटारसी	श्रीभगाबाद	मरोडा-1	1	22.540

- इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ----- दिनांक ----- द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर
1 _____
आशुतोष शर्मा
सहायक (सहायक)

2 _____
एस. सी. नेत
प्रबंधक (सहायक)
साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

डा. कल्पनात मश
(कार्यवाही/माला/सहायक)
म. प्र. स्टेट गार्डिंग कार्पोरेशन
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
अर्थात् हस्ताक्षर
जिला _____
(नुर)

1 _____
नरु प्रकाश सिंह
2 _____
Meevay Tripathi

14/01/2021
ठेकेदार का नाम पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि0. अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिधल, एच0ए0जी-07, सेक्टर 02,
शकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(छ0ग0)

परूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उल्लेखनीय सन्निहित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसमें इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके बरिस, निष्पादन, पंचायत प्रतिनिधि और अनुज्ञापन समनुदेशिनी शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत् ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 261,99,99,999/- (दो सौ एकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एन्ड द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपर 65,50,00,000 /- (सठ करोड़ पचास लाख रूपये) अभिस धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहत किये जाने योग्य होगी; और

यत्, राज्य शासन/ निगम ने इसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र सलग्न है जिस खदान जासलपुर-1, खसरा क्रमांक 691/1 का क्षेत्रफल 10,000 तहसील होशंगाबाद-जिला होशंगाबाद, म0प्र0 है। और जिसका विवरण सलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रेंटलटी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, परसविदाजी और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खदान के प्रयोजनों के लिए परदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कालक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अथ कयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Construction Limited

13/01/2021
राज्यपाल संचालक
राज्य खनिज निगम मर्यादित

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार ज. एलद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख (31.12) से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।
4. एलद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एलद्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) भा नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किरातों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम पर्यन्तः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस पर्योजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बाइटेड समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दते हुए विलंब अर्वाधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्ययगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। सर्वोक्त निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि सय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बाइटेड समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R. K. Tachibana
Authorized Signatory

श्री. राजेश कुमार
अधीक्षक निगम
निगम प्रशासक का कार्यालय

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले आयी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधारी होगा।

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्महल की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकाली करना चाहता है, तब उसे परन्तु अनुज्ञात अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अवशिष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किस्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तोस दिना) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से व्याज सहित शोध्य राशि/राशियाँ का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियाँ ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई धन सम्पत्ति को अश्रियहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।


A. K. Tripathi is the name of the official.


डॉ. यशवंत मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. खनिज एवं पत्थर विभाग

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असदस्त रहती है तो कार्यकारान्तिगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिराके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।
11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतर्गत नहीं करेगा।
12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि को समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।
13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से वाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं।
14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।
15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।
16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पहाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और इस तथा बजारी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा कम स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदीनाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।
18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासना कालक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांक का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारों द्वारा निरीक्षण के दौरान या माग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।
19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व MOPD राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा

माह	निकाले गये खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोड़े कारणों से ठेकाधन की राशि में नशीबधन किए जाने संबंध में कालक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार में विरुद्ध कवाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियता संचालित की जा सकती। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः शिविता प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उम्माको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपदाकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अंतिम सूचना दी जाएगी।

Dr. Arundhati Mishra

Secretary, R.K. Transport & Construction Limited

Plot No. 1, Sector 1, Gurgaon, Haryana

Page 5 of 7

R.K. Transport & Construction Limited

4000-200-2000

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बाधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान संजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवेक्षित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या जाँचकों से से किसी को निविदलत करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चरपा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित काम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उप-खण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अतिविष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समझौते करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. डे-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अधिनत अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टाकरण किया जाना है कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधना और शर्तों को पूरी करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूप से 65,50,00,000/- मात्र (अधिस धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/मिनिस्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	सगुड क्र०/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हं)
1	2	3		4	5	6
24	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	जासलपुर-1	691/1	10.000

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीनन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.

2.

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. नाम पता

2. नाम पता

(कार्यपालक सचिव) का
कार्यपालक सचिव
मध्य प्रदेश खनिज संसाधन निगम
नवादित, हस्ताक्षर

जिला _____
(शहर)

13/01/2021
ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
मिशन, एच०आई०जी-07, सेक्टर 02,
शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(छ०ग०)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो पंचम संचालक, म०प्र० राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ०प्र०) जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है। जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ कि सटअप ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशितों शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13.1.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपर 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार अंग किये जाने की स्थिति सम्पन्न किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस **खदान जर्मास, खसरा क्रमांक 137 का क्षेत्रफल 19,938 तहसील सिपरिया जिला होशंगाबाद म०प्र० है ।** और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायवटी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, परामर्शों और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए कि कालक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के तर्फीन तन्त्र कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अंग क्रयधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

अनुभव सिंघल


श्री अनुभूति मिश्र
साथीपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा निविदाकार को पड़ान्तरित भूमि का तारीख 13.07.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पड़ान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (षसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस


परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस परियोजना हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवाधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।


Authorised Signatory


डॉ. वरदभूति मिश्र
कार्यवाहक संचालक
M.P. स्टेट माइनिंग कॉर्पो. लि.

(2) ठेकेदार ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वशोधन होगा।

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकाधन में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पन्न की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकाधन हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।


(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में त्रिमासी हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं त्रिमासी में चुकड़े गई किरत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य राशियों के जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited


Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की शर्तों या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असदत रहती है तो कलक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अर्वाधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार स्वयं के व्यय पर भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा।

11. ठेकेदार ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदीर्घ या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।


16. सरकार को यह अधिकार होगा कि वह पर्याप्त क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर माने का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार खदान से अभिप्राप्त और विद्यमान किए गए या विकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टता दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांक का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक दिवसीय प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited


Authorized Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाल गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में भिक्त किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।


22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवेक्षित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की उह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी मुद्रा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियता संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, उपकरण, भूमि, मशीनरी, संग्रह, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

B. K. Transport & Constructors Limited


Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसने रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की समूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तारीख द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देने हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चरपा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना ने यह कथन संतुष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना से विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर, निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग सम्पत्तियों का अधिकार होगा।

Signature

- 28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद से ज्ञान वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।
- 29 इ-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
- 30 अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टाकमित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अतिविष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूरी करता है, तो सुखा राशि की रकम रूपर 65,50,00,000/- मात्र (अचिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	समूह क्र०/ नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (घ०)
1	2	3		4	5	6
74	श्रीभगवाड	पिपरिया	श्रीभगवाड	जमारा	137	19.938

- इस अनुबंध पत्र की दिये स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. 
आशुतोष कुमार
व्यवसायक (आर०)
2. 
एस. सी. शर्मा
प्रबंधक (सामान्य)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. 
एस. सी. शर्मा
2. 
एस. सी. शर्मा


श्री परदमोदी मिश्र

(कार्यपालक संचालक)
म. प्र. स्टेट मइनिंग कार्पोरेशन लि.
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
महानिदेश, हस्ताक्षर

जिला.....

(मुहर)


03/01/2021
ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर०के० एंजिनीयर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिधल, एच०डी०सी-07, सेक्टर 02,
शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(छ०ग०)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, MOPD राज्य खनिज निगम मधोदित (निगम), ओपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसें इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि सटमें ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशितों शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के बिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपर 65,50,00,000 /- (षेसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (लागू नहीं) ठेका अवधि की से टय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान होरियापीपर, खसरा अंशक 226 का क्षेत्रफल 19.746 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद, म0प0 है। जोर जिसका विवरण संलग्न अनुसूची 'क' में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायवटी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खदान के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में पवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इन शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभो समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अब क्रमाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले आने तथा उनका विक्रय करने की स्वतन्त्रता होगी।

Koreudis pasiroshy

डॉ. परदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट हाइनिंग कार्पो. लि.

Koreudis pasiroshy

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पदान्तरित भूमि का तारीख (3/12) से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा सहण करेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पदान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नोचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पचास करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण स्वयं प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उतका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हुए क्लिनिक अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त दायतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वयंसेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मध्य ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

कावेक्टर/निगम

B.K. Transport & Construction Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत को मात्रा ले जा सकेगा

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकाधन में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहन की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकाली करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथावश्यक पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं वह वही हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकाधन हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में घुकाई गई किरत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकाली रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6 रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7 ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन दिये हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई वस्तु सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

Kristobis pasungha

श्री. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पो. लि.

Page 3 of 7

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शीघ्र ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दशित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।
11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारी/विशेषाधिकारी को अंतरित नहीं करेगा।
12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि को समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।
13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए।
14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आवद्ध होगा।
15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।
16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पड़्याकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधना की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेन तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।
18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या जिकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशेषित्या दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सतम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मात्रा की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।
19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व 30/90 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का पारिभाषिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सग्नियार संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा पारभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसका ठेका दिया गया है, उससे झिल्ल प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसकी दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

Authorised Signatory



डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
न.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि

25. यदि इस ठेके के सबंध में और/या उसके सबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रह की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकाहृत में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मज्जा की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप में या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदित करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चरपा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिपालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।


(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।


(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समग्रहण करने का अधिकार होगा।

Authorised Signatory



R.K. Transport & Constructions Limited



डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए. प्र. स्टेट हाइवेज कार्पो. लि.


28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।
29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टाकमिल किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को भूति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रेसर धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-'क'
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (है.)
1	2	3	4	5	6
34	होशंगाबाद	होशंगाबाद	हारियापीपर	225	19.743

* इस अनुबंध पत्र की दोय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक दिनांक द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर


1. 
अशुतोष चौधरी
साक्षी (सागान्ध)
2. 
एस. सी. नेमा
प्रबंधक (सागान्ध)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. 
अशुतोष चौधरी
2. 
Neeraj Mishra



श्री अशुतोष चौधरी
(कार्यपालक, होशंगाबाद)
कार्यपालक, सागान्ध
सा. व. प्रो. टेंटर नई विधिकाया निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला.....
(मुहर)


13/9/2021
ठेकेदार का लक्ष्मी, पता लखनऊ हस्ताक्षर
मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिंघल, एच०आई०जी-०७, सेक्टर ०२,
शकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर
(छ०ग०)

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में पश्चिम राज्यालक मण्डल राज्य खनिज निगम समीक्षित (निगम), मोपान के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अधिव्यक्ति में उनमें पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंहल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसें इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अधिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, पश्चात्क, प्रतिनिधि और अनुज्ञात सम्बन्धितों शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13/12 से 30.08.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यह ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ एकसठ करोड़ निम्नान्वये लाख निम्नान्वये हजार नौ सौ निम्नान्वये रुपये) प्रतिफल का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो स्वयं एतद व्यय ठेका राशि का-लाभ और रूपए 65,50,00,000 /- (षेसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लगू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लगू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किन्ही प्रकार भंग किये जाने की स्थिति सम्पन्न किये जाने योग्य होगी, और

यह, राज्य शासन/ निगम ने उरी उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका संपादन सलरन है जिस खदान देवनागढ़ी, घसरा क्रमांक 60 का क्षेत्रफल 12.145 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद मण्डल है। और जिसका विवरण सलरन अनुसूची 'क' में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साह्य है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों का प्रतिफल में तथा शर्तों, पराविदाओं और करार के प्रतिपाल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार का खदान के प्रयोजनों के लिए पटल क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभा समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादी के पचलित उचित बाजार मूल्य पर अथवा कर्वाधिकार होना खनिज या खनिज के उत्पादी को खदान में बाधा नो जाने तथा उनका विकास करने की स्वतंत्रता होगा।

Authorised Signatory

R. K. Transport & Constructions Limited

डॉ. करदमूति मिश्र

कार्यपालक संचालक

एम प्र स्टेट माईनिंग कार्पो. लि

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार में एलटवाउ निविदाकार को परामर्शित भूमि कुछ तारीख (3.1.2) से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा राखेगा।
4. एतद्वारा यह सहमति पटान की जाती है कि एलट द्वारा पटान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएँ खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5 (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पचास करोड़ पचास लाख रूपये) का रहेगा। यह तारिख का उसके बाद निम्न में भुगतान करेगा-

अनुक्रम-क्र	किस्त क्रमांक	किस्त की राशि (रूपए में)	किस्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किस्त	65,50,00,000/-	पथक तैनात वे: प्रथम दिवस
2	द्वितीय किस्त	65,50,00,000/-	द्वितीय तैनात के प्रथम दिवस
3	तृतीय किस्त	65,50,00,000/-	तृतीय तैनात के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किस्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ तैनात वे: प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस परियोजना हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निम्न तारीख को किस्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जायेगी तथा अक्षय संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किस्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किस्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज सहित देय किस्त/किस्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यवसाय आदेश कर पुनः निविदा को शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विजयिता प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार सम्बन्धित देयताएँ 24 प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ जमा कर सकता है। अर्थात् निविदा विजयिता प्रकाशन पर स्वयंसेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किस्त की राशि नये व्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

Author's Signature

डॉ. सुरदेवमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए. प्र. स्टेट प्राइविंग कार्पोरेशन लि

Page 2 of 7

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के अन्तर्गत् से खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्पत्ति से (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेट की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु यदि ठेकेदार निम्नोक्त अन्तर्गत से अधिक मात्रा ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकासी गड़ या ले जाया गड़ मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकासी जाने की अनुमति दी जाएगी। किन्तु 18 वर्ष के ठेकाधर में अतिरिक्त मात्रा के अन्तर्गत् राशि जमा की गयी तब अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गड़ सुरक्षा राशि सम्पन्न की जा सकेगी।


परन्तु यह जोर देना है कि ठेकेदार निम्नोक्त रूप उक्त रूप से अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) को निकासी करना चाहता है, तब उसे परस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति से यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह रेटो हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समाबोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अलविस्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक 18वें पैरा (2) में निर्वाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी ले जायेगा तब वह रेटो एवं अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गड़ निम्न राशि के अन्तर्गत् राशि का भुगतान (लॉट दिना) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने की उत्तरदायी होगा।

परन्तु यदि ठेकेदार निम्नोक्त अन्तर्गत से अधिक मात्रा ले जायेगा तब वह रेटो एवं 20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से वार्षिक रूप से निकासी मात्रा के अनुज्ञात मात्रा का भुगतान करना का उत्तरदायी होगा।

6. रेट खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शर्तों के जो जो इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोधन तारीखों से दो मास से अधिक देखाई गड़ भुगतान में विलंबता की दृश्य में वरिष्ठतर या 180 दिनों द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गड़ चाल सम्पत्ति को अभियोग्य कर सकेगा और ले जा सकेगा।

Executed for and by


R.K. Transport & Constructions Limited


श्री. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए. ए. स्टैटि माइनिंग कार्पो. लि.

Page 3 of 4

माह	निकास गंध खनिज का वार्षिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकास का खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास में प्रतिशत का अतिरिक्त स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान निर्गमित खनिजों की औसत मात्रा (घनमीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाले किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।
21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गईं नई खदानों के पहुंच वाले खनिजों को उपकरण तथा मशीनरी के कारण से ठेकाघन की स्थिति में सहायता किए जाने संबंध में बलदायक नियमों के विरुद्ध कोई प्रतिकार या नुकसान का दावा नहीं करेगा।
22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कारवाही के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवर्तित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि को तैयार करके निम्नलिखित सूचना को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कालबद्ध निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाघन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खानत संचालन संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।
23. ठेकेदार, जिसके लिए उसका ठेका दिया गया है, उससे भिन्न पर्यायन के लिए उक्त अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।
24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपदाकाल की दशा में सरकार को खदान वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार होगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकार के लिए कोई दावा नहीं करेगा।
 (2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कारवाही समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

Authorised Signatory

Signature

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
न.प्र.स्टेट कॉन्स्ट्रिक्शंस कॉर्पो. लि.

23. डी.के.ए. खदान से खनिज का उत्पादन करने से जो भी लाभ प्रत्येक खाने की राज्य सरकार द्वारा विहित प्रतिशत भाग के तहत ही सरकार को प्राप्त हो सकेगा।

29. इस विधिक दस्तावेज, अनुबंध और/या अन्य दस्तावेजों को अमान्य नहीं माना जाएगा।

30. अनुबंध के अधीन, पारदर्शक और पारदर्शक कर्तव्य होगा कि यदि, अथवा उद्देश्य के अंतर्गत, यह उल्लिखित स्तरों पर खनिज का उत्पादन हो सके, तो सुझाव राशि की राशि का 65 50,00,000/- रूप में अग्रिम भुगतान आ कि एकदम तब तक अग्रिम राशि की राशि एकदम तब तक अग्रिम भुगतान की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पृष्ठ 1 देखिए)

(पं. 1 श्रेणी) क्र०	जिला	तहसील	ग्राम / नाम	क्षेत्र	क्षेत्रीय क्षेत्र	क्षेत्र (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
30	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	दवालाखोरी	100	12 1/2


• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर
1. _____
साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

2. _____
साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर


डी.के.सूर्ति मिश्र
 कार्यपालक संचालक
 (कम्यूनिटी स्टेट प्राइमिंग फार्म) लि.
 अन्वय प्रदेश राज्य खनिज निगम
 व्यवसाय हस्ताक्षर
 जिला _____
 पिनकोड _____

1. _____
2. _____
Neevy Hand


 3/01/2021
 डायरेक्टर का नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर
 मेसर्स आरके0 टाइट एण्ड कन्सल्टिंग प्राइवेट लि0, अधिकृत व्यक्ति, अग्रिम सिधल, एचआइजी 07, सेक्टर 02, फकर नगर रायपुर, विन्ध्य रायपुर (C.G.0)

प्रारूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में पबंध संचालक, म0प0 राज्य खनिज निगम संचालित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मैसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (उ0म0) (जिसमें इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि सदमे ऐसा स्वीकार है उसके वारिस, निष्पादक प्रशासक प्रतिनिधि और अनुज्ञात सम्बन्धितों शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. रेत-ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 281,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एनटी द्वारा ठेका राशि क्लेयरिंग और रूपर 65,50,00,000 /- (षसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (नागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (नागू नहीं) ठेका अवधि की में दिये सम्पूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्बन्ध में ध्यान के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार अंग किये जाने की स्थिति सम्भवतः किये जाने योग्य होगी, और

यह, राज्य शासन/ निगम में उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका स्थान क्षेत्र संलग्न है जिस खदान मुरजफाट, खसरा क्रमांक 1/1 का क्षेत्रफल 9.000 तहसील सिवनीनालका जिला होशंगाबाद, म0प0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची 'क' में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों परसंधियों और करों के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए ठेकेदार को खदान के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और उस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के पचावित उचित बाजार मूल्य पर अब कयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

उत्तरवर्ती के प्र

राज्यपाल

B K Industries Limited - 9, 2nd Floor, Raipur

Authorized Signatory

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख [31.12] से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखना तथा कब्जा रहना करेगा।

4. एतद्वारा यह भूभागी पट्टा वी। ज. नं. 7 के एन्ट द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएँ खड़ी नोंचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नोंचे टी गड्डे तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक किश्त क्रमांक किश्त की राशि (रूपए में) किश्त जमा करने की तारीख

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम वेतनास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय वेतनास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय वेतनास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ वेतनास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेल खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम पर्यन्त मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्ट की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस जांच का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त किश्तों का भुगतान करने पर कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यवगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विजयित प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विजयित प्रकाशन पर स्वयंसेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रल समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात राशि का भुगतान कर ले जा सकेगा।

परन्तु यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जावेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के भुगतान करने के दायित्वहीन होगा।

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप में पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकाधन में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पूत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष इस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथावश्यक पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकाधन हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अलविष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किरत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेल खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के जो कि इन करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पन्न जोड़या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिविहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की शक्ति या कोई अन्य शोच्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असदस्त रहती है तो कांवेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार खदान में समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर विहित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकार/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विलियमों और ऐसी अन्य शक्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने का लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि यह महाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिय करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार खदान में अभिप्राप्त और निकाले गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशेषतया दशोंत हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखाओं का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या माग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व 2090 राज्य खनिज निगम भयादित को प्रस्तुत करेगा।

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकाल किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।
21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाघन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिभार या नुकसान का दावा नहीं करेगा।
22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध कबला न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त परस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाघन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियता संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।
23. ठेकेदार जिसके लिए उसका ठेका दिया गया है उससे भिन्न पर्यवसित के लिए उस अनुबंध के अधीन उसको टी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।
24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिभार के लिए कोई दावा नहीं करेगा।
- (2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा तथा, कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

नि. प्र. प्र. नि. प्र.
 नि. प्र. प्र. नि. प्र.
 नि. प्र. प्र. नि. प्र.

Page 5 of 7

R.K. Mansoor

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख से आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिश्चित कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो इसके द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदित करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदर्शय स्थान पर एक प्रति घोषणा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके अवेक या अवेकरगा।

(3) उप-खण्ड(2) के अधीन सूचना से यह कथन अलविष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिश्चित कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा वापस लेने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

26. यदि ठेके की अवधि के अंत में ठेकेदार को खदान/समूह का कब्जा वापस लेने में असफल रहता है, तो ठेकेदार कब्जा वापस किए जाने के लिए सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग सम्प्राप्त करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले पर्यटक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही पर्यटक यत्न के लिए जाने देना।
29. इं-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टाकामिल किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 85,50,00,000/- मात्र (अठ्ठिअस करोड़) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उरो वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

क्र.सं.	जिला	तहसील	समूह शु.0/नाम	ग्राम	खरारा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
11	राजसूत	सिवनीमातल	राजसूत	सुराजपुर	1/1	9.000

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____

2. _____


 ठेकेदार का नाम
 राज्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
 तथादिता हस्ताक्षर
 जिला
 (मुहर)


 ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
 मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
 लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुमठ
 सिधल, एचआइजी-07, सेक्टर 02,
 शंकर नगर, रायपुर जिला रायपुर
 (490000)

प्ररूप-पांच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरजती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स भार0के0 टाउनपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (उ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशितों शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13.1.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एलएड द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (षेसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिशुक्ति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय सम्पूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सन्यक्त पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति सम्पहत किये जाने योग्य होगी; और

यतः राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान इंठी-2, खसरा क्रमांक 291, 559 का क्षेत्रफल 6.433 तहसील शिवनीमालवा जिला होशंगाबाद, म0प्र0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रेंटलटी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्याधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कालक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर भंग क्रयाधिकार होगा खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाते तथा उनका विक्रय करने की स्वीकृति होगी,

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि की तारीख [3.1.1.2] से तारीख 30.08.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएँ खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5 (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (सैसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हुए विनव अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञापित प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताएँ 24 प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञापित प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय व्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

S. & Transport & Construction Co. Ltd.

[Signature]

Authorised Signatory

[Signature]
S. & Transport & Construction Co. Ltd.
S. & Transport & Construction Co. Ltd.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि को रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा।

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुवर्तिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त भी जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का कठम अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पत्त की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकाली करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथासंभव पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बड़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में धुकाई गई किरत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकाली रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण सहित शोध्य राशियां/शियां का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में क्लकटर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चाल अनुमति को अभिव्यहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

S.L. Transport & Construction Limited

(Signature)

Authorized Signatory

श्री. अशोक कुमार
प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
S.L. Transport & Construction Limited

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेल खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की उह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियताएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार सम्पन्न के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। सम्पन्न सूचना प्राप्त होने के पर्याप्त समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, सयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अंतिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकाहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकाहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की समूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिश्चित कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या लौकरी से से किसी को निविदित करते हुए या दते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति घसपा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिश्चित कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समग्रहण करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Construction Limited
Shubham
Authorised Signatory

(Signature)
श्री सुश्रुति मिश्रा
कलेक्टर/अधीक्षक
रेत खदान/निगम

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।
29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।
30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टाकामिल किया जाता है कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्निहित और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ण करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (अस्सी धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पृष्ठ 1 देखिए)

(पृष्ठ 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	क्र०/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
113	होशंगाबाद	सिवनीमालवा	होशंगाबाद	डेटी-2	291 559	6 433

- इस अनुबंध पर की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

(कार्यपालक सचिव/अधीक्षक)
कार्यपालक सचिव
राज्य पट्टा, खनिज एवं खनिज निगम
महाराष्ट्र शासन कार्यालय
महाराष्ट्र, हस्ताक्षर
जिला.....
(मुहर)

13/01/2021
ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
सिघल, एचआइजी-07, सेक्टर 02,
शहर नगर, रायपुर जिला रायपुर
(4020)

परूप-पॉच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक, MOPRO राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी नेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शकर नगर, गायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशितों शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम पट्टा द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपर 65,50,00,000/- (षेठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सन्यक्त पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का कितनी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उते उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान **गंडियाकिशोर-2, खसरा क्रमांक 115 का क्षेत्रफल 8.522 तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद, म0प0** है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए पट्टा क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कन्क्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Construction Limited

श्री वैश्ववर्ति मिश्र
कार्यवाहक संचालक
म.प्र. स्टेट मइनिंग कार्पो. लि.

Page 1 of 7

क्र.सं.	विषय के अंतर्गत कार्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

20. डेप्युटी डायरेक्टर, जलान क्षेत्र में पदों के रिक्तियों की रिपोर्ट तत्काल सशुद्ध विवरण के साथ प्रेषित की जाएगी।

21. डेप्युटी डायरेक्टर, जलान क्षेत्र में पदों के रिक्तियों की रिपोर्ट तत्काल सशुद्ध विवरण के साथ प्रेषित की जाएगी।

22. डेप्युटी डायरेक्टर, जलान क्षेत्र में पदों के रिक्तियों की रिपोर्ट तत्काल सशुद्ध विवरण के साथ प्रेषित की जाएगी।

23. डेप्युटी डायरेक्टर, जलान क्षेत्र में पदों के रिक्तियों की रिपोर्ट तत्काल सशुद्ध विवरण के साथ प्रेषित की जाएगी।

24. (1) कृषि की स्थिति में कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।

(2) जलान क्षेत्र में पदों के रिक्तियों की रिपोर्ट तत्काल सशुद्ध विवरण के साथ प्रेषित की जाएगी।

Dr. [Signature]
 Director, Jalandhar
 Punjab

Sd/- [Signature]
 Authorised Signatory

- 28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद से जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गलत्यू के लिए जाने देगा।
- 29. कुतिविष्टा दस्तावेज, अनुबंध प्रती, प्रत्येक के कुतिविष्टा अनुबंध होगा।
- 30. अनुबंध के अधीन, एलट्रानॉस को मजबूत किया जाएगा है, कि बाटे, अन्वय, यान्त्रिकी, अन्वय और उल्लिखित समस्त निबंधना और शर्तों को पूर्ण करता है, एव सुचारु शर्तों को पारण रूपर 65,50,00,000/- मात्र (असिस घन) जो कि ठेकेदार द्वारा उन्व, नर मंडू उ अन्वय/नेमान व्दारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-क
(पृष्ठ 1 देखिए)

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रकार/परिम	रा.म	संश्लेष क्रमांक	रकम (डे.)
1	2	3	4	5	6	7
01	कोयलाखाने विपरिणा	1	कोयलाखाने	1000000000	100	1000000000

इस अनुबंध पत्र की ईश स्वाम्य एवं सेवाकर शुल्क दरमामाज समारक दिनांक द्वारा कुलमा जो चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं पता

[Signature]
साक्षी (नाम)

[Signature]
साक्षी (नाम)

साक्षी का पूरा नाम, व्यवसाय एवं पता

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं पता

डॉ. परमार्ति मिश्र

साक्षी का पूरा नाम, व्यवसाय एवं पता
साक्षी का पूरा नाम, व्यवसाय एवं पता
साक्षी का पूरा नाम, व्यवसाय एवं पता

[Signature]
साक्षी का पूरा नाम, व्यवसाय एवं पता

[Signature]
साक्षी का पूरा नाम, व्यवसाय एवं पता

[Signature] 13/02/2021

ठेकेदार का साक्ष्यपत्र तथा अनुबंध पत्र
कोयलाखाने विपरिणा एव अन्वय
100, अधिकृत अन्वय को अनुबंध
विषय, एव अन्वय-07 अन्वय (1,
अन्वय 100, अन्वय, अन्वय अन्वय
अन्वय)

प्ररूप-पाँच
(नियम 13(2) देखिए)
रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर०के० ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'ठेकेदार' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशितों शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 12 माह 01 सन् 2024 को दिनांक (30/1/2) से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपर 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपर 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपर (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपर (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान वेदर, खसरा क्रमांक 58 का क्षेत्रफल 16.976 तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद म०प्र० है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, परसविदाओं और करार के प्रतिपालन में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर का ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अब क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

Authorised signatory



Dr. Parvati Mishra

डॉ. परवती मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार से, एतद्वारा निविदाकार को पधान्तरित भूमि का तारीख [30.06.23] से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखना तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पधान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (सैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्म खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यवगत आदेश कर पुन निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विजयिपति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताये 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विजयिपति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबटित समूह की खदानों के लिए इ-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

Authorised Signature

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
ए. ए. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार ठेका राशि की रकम के एकत्र में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधोन होगा

परन्तु यह कि यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा अनुज्ञात खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुज्ञात खनन योजना का पुनरीक्षण किज जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकाधन में अनुज्ञात खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पूत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) को निकाली करना चाहता है, तब उसे परस्ताव अनुसार अनुज्ञात खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति से यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बटी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकाधन हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किस्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकाली रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य शोध्यों के ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खातों में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई घस सम्पत्ति को अभियहीन कर सकेगा और ले जा सकेगा।

Authorised Person

डॉ. परदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पो. लि.

Page 3 of 7

M.K. Transport & Constructions Limited

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कीड़े अन्य शोधय ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असदस्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन परियोजना के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन पदस्त अधिकारी/विशेषाधिकारी को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन पदस्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से साध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे वा अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन भूमि का उपयोग करेगा और रेल तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाल के भीतर प्रतिषेध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांक का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मयादित को प्रस्तुत करेगा

Authorised Signatory

डॉ. वेरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पो. लि.

Page 4 of 7

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में लिख्य किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20 ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।


21 ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोड कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22 यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध कयाया न होने की स्थिति में कलक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियण संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इत अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24 (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अंतिम सूचना दी जाएगी।



डॉ. बरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

Page 5 of 7

Kicreubis pasjooe

प्राप्त (संशोधन) 17/11/2017

25 यदि इस ठेके के संबंध में और/या इसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26 कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लौकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लौकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिश्चित कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है जहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नाई अधिकारी, सूचना की तारीखी या तो डाक द्वारा या उसकी पति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या लौकरी में से किसी को निविदात्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदर्शक स्थान पर एक प्रति घरपा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिभाषित काम से काम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तारीखी की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिश्चित कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है जहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग सम्पन्न करने का अधिकार होगा।

20170605 09:51:00 AM

20170605 09:51:00 AM by 20170605 09:51:00 AM

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र

कार्यपालक संचालक

प. प्र. स्टेट मार्टनिंग कार्पो. लि

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पड़कायित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अतिरिक्त और उल्लिखित समस्त विधियों और शर्तों को पूर्ण रूप से माने तो सुरक्षा राशि की रकम रुपय 65,50,00,000/- मात्र (असिद्ध धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जन की गइ है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

क्र. सं.	जिला	तहसील	समूह क्र. सं./नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
83	होशंगाबाद	बनखेडी	होशंगाबाद	वेदर	58	16.976

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक _____ दिनांक _____ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. _____
जासुलीप देवले
साक्षी (सामा.)

2. _____
एच. सी. नेगा
साक्षी (सामा.)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

(काली परतमूर्ति मिश्र का)
कार्यवाही संभालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉपो. लि.
संयोजित, हस्ताक्षर

जिला _____
(मुहर)

1. _____
पं. प्र. देवले, नि. प्र.

2. _____
N. M. Joshi

Shubham
13/01/2021
ठेकेदार का नाम _____ तथा हस्ताक्षर
मैसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन
लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव
मिघल, एच. माइनिंग कॉपो. लि. सेक्टर 02,
नगर नगर रायपुर जिला रायपुर
(3070)